हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

वर्तमान निदेशक मंडल

श्री एम. समाजपति
कार्यकारी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री पी. स्वरूप
निदेशक (प्रचालन)

श्री आर. के. भार्गव
श्री वी. के. ठकराल

कंपनी सचिव

श्री सी. एस. सिंघी

लेखा परीक्षक

मेसर्स एम. सी. भंडारी एंड कं., कोलकाता
मेसर्स दिनेश मेहता एंड कं., नयी दिल्ली

बैंकर

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर
इंडियन ओवरसीज बैंक
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
सिंडिकेट बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद

पंजीकृत कार्यालय

ताम्र भवन
1, आशुतोष चौधरी एवेन्यू
कोलकाता - 700 019

विषय सूची

- निदेशक मंडल **1**
- निदेशक मंडल का प्रतिवेदन **3**
- निदेशक मंडल के प्रतिवेदन का परिशिष्ट **19**
- लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ **20**
- 10 वर्षों पर एक दृष्टि **25**
- लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन **26**
- लेखा नीतियाँ **31**
- तुलन पत्र **34**
- लाभ एंव हानि लेखा **35**
- लेखा की सारणियाँ **36**
- टाउनशिप एवं सामाजिक सुविधाओं पर पूंजीगत व्यय **58**
- सामाजिक उपरिव्यय सहित टाउनशिप पर व्यय **59**
- तुलन पत्र का सारांश तथा कंपनी के सामान्य व्यवसाय की रूपरेखा **60**
- नकदी प्रवाह का विवरण **61**

निदेशक मंडल का प्रतिवेदन

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड
कोलकाता के शेयरधारको

1. आपके निदेशक 31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों का लेखा परीक्षित विवरण तथा लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन के साथ कंपनी का सैंतीसवां वार्षिक प्रतिवेदन सहर्ष प्रस्तुत कर रहे हैं :

2. **वित्तीय कार्य निष्पादन**

वर्ष 2004-2005 और 2003-2004 के कंपनी के कार्य परिणामों की तुलनात्मक स्थिति निम्नलिखित हैं :

		(रु. करोड़)
मद	**2004-2005**	**2003-2004**
क. बिक्री (टन)	26,043	30,144
ख. कारोबार	559.11	518.87
ग. ब्याज, मूल्यह्रास, प्रावधान और बट्टे खाते तथा कर पूर्व लाभ	127.79	33.73
घ. ब्याज	42.99	59.63
ङ. मूल्यह्रास, प्रावधान एवं बट्टे खाते	32.74	30.26
च. कर पूर्व लाभ	52.06	56.16
छ. कराधान के लिए प्रावधान	0.00	0.00
ज. आस्थगित कर से पूर्व लेकिन करोत्तर शुद्ध लाभ/(हानि)	52.06	(56.16)

कंपनी के वित्तीय कार्य-निष्पादन में पर्याप्त सुधार हुआ जैसा कि कंपनी ने लगभग 8 वर्षों के अंतराल का बाद 2004-05 में रु. 52.06 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया । बेहतर उत्पादन प्रक्रिया, स्वै.से.नि. द्वारा जनशक्ति का युक्तिकरण, ब्याज लागत में कमी और कंपनी द्वारा कार्यान्वित अन्य लागत कम करने के उपायों के कारण यह सुधार हो पाया है । अच्चे कार्य परिणाम हासिल करने में ताँबे के लं.धा.बा. मूल्य में हाल में आये उछाल ने भी योगदान किया है।

2003-04 की रु. 25.90 करोड़ की नकद हानि की तुलना में 2004-05 के दौरान नकद लाभ रु. 84.80 करोड़ था ।

3.1 वर्ष 2004-2005 के दौरान मलंजखंड ताम्र परियोजना में हुआ 23.43 लाख टन अयस्क पेषण अब तक का सर्वोच्च कीर्तिमान था ।

3.2 इंडियन कॉपर काम्प्लेक्स, घाटशिला में मार्च, 2005 के महीने में 2001 मी.टन फफोलेदार ताँबे का अब तक का सर्वोच्च उत्पादन प्राप्त किया गया । वर्ष 2004-05 में 95.99% की वसूली सर्वोच्च थी । इसी प्रकार ईंधन, तेल और आक्सीजन के विशिष्ट उपभोग आँकड़े निम्नतर थे। इसके अलावा उपकरणों की वर्धित उपलब्धता और प्रक्रिया घट-बढ़ की सघन मानिटरिंग से 2004-05 के दौरान उत्पादों का 15.72% का निम्नतर ताम्र गौण/प्रक्रिया मध्यवर्ती का उत्पादन हुआ ।

3. उत्पादन कार्य निष्पादन

उत्पाद	**2004-2005 (अप्रैल 2004 से मार्च 2005)**				**2003-2004 (अप्रैल 2003 से मार्च 2004)**			
	केसीसी	आईसीसी	एमसीपी	कुल	केसीसी	आईसीसी	एमसीपी	कुल
उद्वाहित अयस्क ('000 टन)	872	–	2,051	2,923	574	–	2,321	2,895
अयस्क पेषित ('000 टन)	894	–	2,342	3,236	678	–	2,265	2,943
सांद्र धातु (टन)	7,742	–	21,184	28,926	6,249	–	22,057	28,306
फफोलेदार ताँबा (टन)	4,843	14,449	–	19,292	28,173	2,697	–	30,870
कैथोड (टन)	11,675*	12,511	–	24,186	27,303	3,295	–	30,598
सी सी वायर राड (टन)	–	–	–	27423**	–	–	–	28,003

* 4909 टन टोल्ड कैथोड सहित

** अन्य पार्टियों की ओर से 4220 टन की टोलिंग सहित

केसीसी-खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स, आईसीसी-इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स, एमसीपी-मलंजखंड ताम्र परियोजना

3.3 केसीसी में प्रगालक/परिष्करणशाला संयंत्र की प्रमुख ओवरहालिंग के कारण 2004-2005 में में कैथोड उत्पादन प्रभावित हुआ । संयंत्र अब 20 अप्रैल, 2005 से चालू हो गया है ।

3.4 चूँकि कंपनी का मूल्यवान धातु वसूली संयंत्र चालू नहीं था, अत: वर्ष के दौरान मूल्यवान धातु जैसे सोना और चाँदी का उत्पादन शून्य रहा। तथापि 36.02 मी. टन एनोड स्लाइम, एक प्रक्रिया मध्यवर्ती, जिसमें करीब 180 किलोग्राम सोना और 3850 किलोग्राम चाँदी समाविष्ट है, को अवधि के दौरान उत्पादित किया गया। मू.धा.व. संयंत्र जुलाई, 2005 से उत्पादन चक्र में शामिल हो जाएगा ।

4. विद्युत आपूर्ति की स्थिति

आईसीसी इकाई को छोड़कर कंपनी की सभी इकाइयों में विद्युत आपूर्ति की स्थिति कमोबेश संतोषजनक रही । आईसीसी में झा.रा.वि.प. के भुगतान दोष के कारण दा.घा.नि. द्वारा यदाकदा विद्युत कटौती की गई। हिकॉलि ने इस विषय को दा.घा.नि. और झा.रा.वि.प. के समक्ष उठाया है और अद्यतत स्थिति तुलनात्मक स्थिर है ।

5. ऊर्जा संरक्षण

हि.कॉ.लि. ने अयस्क खनन से ताम्र धातु तथा अन्य गौण-उत्पादों को निकालने की प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा संरक्षण उपायों को निरन्तर प्राथमिकता दी है । प्रचालन को ऊर्जा दक्ष बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है । कंपनी ने उत्पादन के अधिकांश क्षेत्रों में विशिष्ट उपभोग की दर में गत वर्षों की तुलना में कभी लाने में सफलता प्राप्त की । इस संबंध में केसीसी खान, आईसीसी, एमसीपी और टीसीपी (केसीसी प्रगालक जुलाई 2004 से मार्च, 2005 तक शटडाउन था) में हासिल उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :

	विशिष्ट उपभोग	इकाई	2004-2005	2003-2004
1.	केसीसी खान ऊर्जा	किलोवाट घंटा/टन	18.07	23.60
2.	एमसीपी खान ऊर्जा	किलोवाट घंटा/टन	0.881	1.011
3.	आईसीसी प्रगालक ऊर्जा	किलोवाट घंटा/टन	1133.45	1561.40
4.	आईसीसी रिफाइनरी ऊर्जा	किलोवाट घंटा/टन	276.48	307.17
5.	आईसीसी गंधकाम्ल ऊर्जा	किलोवाट घंटा/टन	180.74	355.52
6.	टीसीपी ऊर्जा	किलोवाट घंटा/टन	117.57	120.98
7.	केसीसी अयस्क पेषण ऊर्जा	किलोवाट घंटा/टन	23.69	24.73
8.	आईसीसी प्रगालक ईंधन उपभोग	लीटर/टन	467.25	739.33
9.	आईसीसी प्रगालक आक्सीजन उपभोग	एनएम3/टन	389.30	555.92

6. टाउनशिपों का हस्तानान्तरण

झा.रा.वि.प. एवं राज्य सरकार द्वारा दावा की गई रु. 64.15 करोड़ की राशि जिसमें 31.08.2003 (मोसाबनी) और 30.09.2003 (राखा इकाई) का बकाया विद्युत ईंधन अधिभार एवं डीपीएस तथा 31.03.2000 तक का जल कर शामिल है, के एक बार निपटान पर झारखंड सरकार ने भूमि, इमारतें, अस्पताल और अन्य जनोपयोगी इमारतों सहित मोसाबनी एवं राखा की टाउनशिपों के अधिग्रहण का निर्णय किया है । गजट अधिसूचना के बाद अब टाउनशिपों को सौंपने के लिए रिसीवर नियुक्त किया गया है । ईंधन अधिभार और जल कर के उक्त दावे का निपटान लंबित होने के कारण कंपनी की लेखाबही में रु. 36.54 करोड़ का प्रावधान है । आस्तियों को अन्तिम रूप से सौंपने के बाद निपटान की शेष राशि और आस्तियों के हस्तानांतरण के लेखा प्रभाव को भी प्रभारित कर लिया जाएगा ।

7. सुरक्षा

हि.कॉ.लि. की सभी गतिविधियों मे सुरक्षा को निरन्तर प्राथमिकता दी जाती रही है । राजस्थान की कोलिहान ताँबा खान ने पूर्व वर्ष 2003-04 की तरह इस वर्ष के दौरान भी शून्य दुर्घटना प्रतिष्ठा को बनाए रखा।

मध्य प्रदेश में अवस्थित मलंजखंड ताम्र परियोजना में पूर्व वर्ष 2003-04 की 6 की तुलना में वर्ष के दौरान 5 दुर्घटनाएँ हुई।

खेतड़ी ताँबा खान जनवरी 2003 से दिसम्बर, 2003 (करीब एक वर्ष) तक बंद थी और जनवरी, 2004 से फिर से खोली गयी । इसने वर्ष 2004-05 के दौरान पूरे वर्ष कार्य किया और 2003-04 की शून्य की तुलना में यहाँ 6 दुर्घटनाएँ हुई । 2004-05 के दौरान हिकॉलि में कुल 11 दुर्घटनाएँ हुई । वर्ष के दौरान कोई घातक दुर्घटना नहीं हुई ।

खान में सुरक्षा पर फरवरी, 2002 को हुए 9 वें सम्मेलन की अनुशंसाओं तथा हिकॉलि की त्रिपक्षीय समिति की बैठक के निर्णयों को कार्यान्वित किया गया है । मध्य प्रदेश और राजस्थान की सभी परियोजनाओं की खानों में होनेवाली मासिक सुरक्षा समिति बैठक में सुरक्षा संबंधी विषयों पर नियमित रूप से विचार विमर्श किया जाता है ।

नियमित सुरक्षा अभियानों जैसे अग्नि सेवा दिवस, अखिल भारतीय खान बचाव प्रतियोगिताएँ, वार्षिक सुरक्षा सप्ताह समारोह आदि में कंपनी के कर्मचारियों द्वारा सक्रियतापूर्वक भाग लिया गया ।

8. विपणन

8.1 वर्ष 2004-05 के दौरान चूँकि केसीसी प्रगालक प्रमुख ओवरहालिंग के लिए शटडाउन किया गया था, इसलिए ताँबे की बिक्री पूर्व वर्ष के 2512 मी.टन के मासिक औसत की तुलना में 2170 मी.टन के मासिक औसत से 26043 मी.टन तक सीमित रही । कुल बिक्री हुए टनों में 23607 मी.टन सीसी रॉड और 2436 मी.टन कैथोड और विविध ताँबा शामिल है । 2003-04 के 461 मी.टन की तुलना में वर्ष के दौरान वायरबार की बिक्री शून्य रही । ताँबे की कम उपलब्धता और वायर बार से कम वसूली को ध्यान में रखकर जुलाई, 2003 से वायरबार उत्पादन बंद कर दिया गया था । तथापि 20 अप्रैल, 2005 से केसीसी प्रगालक के पूर्ण से प्रचालनरत होने से वायर बार का उत्पादन फिर से करने का निर्णय किया गया है ।

8.2 वर्ष 2004-05 के दौरान लंदन धातु बाजार का औसत अमेरिकी डालर 3000.18 था, जिसके स्थिर रहने की आशा की जाती है ।

9. नई परियोजनाओं/विस्तार योजनाओं की प्रगति

वर्ष के दौरान कोई नई परियोजनाएँ/विस्तार योजनाएँ हाथ में नहीं ली गई ।

10. लघु उद्योगों एवं सहायक इकाइयों का विकास

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की सभी इकाइयाँ अपने क्षेत्र और आसपास के लघु उद्योगों एवं सहायक इकाइयों से सामग्री लेकर उन्हें प्रोत्साहित करने के संबंध में सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन करती रही । लघु उद्योगों/एनएसआईसी इकाइयों से ग्राइंडिंग मीडिया, अर्थ मूविंग उपकरण तथा अतिरिक्त पुर्जे आदि जैसे सामान नियमित रूप से खरीदे जाते हैं । लघु उद्योगों एवं सहायक इकाइयों को आयात विकल्प सामानों के विकास के लिए सहायता प्रदान की जाती है ।

11. अनुसंधान एवं विकास

i. विशिष्ट क्षेत्र जिनमें वर्ष के दौरान अ. एवं वि. गतिविधियाँ की गयीं : कुछ नहीं ।

ii. अ. एवं वि. के परिणामस्वरूप मिले लाभ : कुछ नहीं ।

iii. भावी कार्य योजना : हि.कालि. द्वारा 2004-05 में कार्यारम्भ करने के लिए दो याजनाएं हाथ में ली गई हैं । एक का संबंध एमसीपी में लीन ग्रेड सल्फाइड अयस्क में जैव-विक्षालन से है और दूसरे का संबंध आक्सीडाईज्ड अयस्क के सज्जीकरण के रिएजेन्टों का समुचित सम्मिश्रण के चयन का है ।

iv. अ. एवं वि. पर व्यय : लागू नहीं होता ।

12. विज्ञान एवं तकनीकी/तकनीकी अन्तर्लयन

वर्ष के दौरान कंपनी ने प्रक्रिया लागत में कमी के ध्येय से प्रचालनीय प्रथाओं में सुधार पर ध्यान केन्द्रित किया । वर्ष के दौरान कोई नई तकनीकी का अंतर्लयन नहीं किया गया ।

13. हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

कंपनी के कार्यालयों एवं इकाइयों में हिन्दी पखवाड़ा, हिन्दी सप्ताह, हिन्दी दिवस मनाया गया, जिसके अंतर्गत अनेक हिन्दी प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई तथा विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार दिया गया । हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में माननीय गृह मंत्री, कोयला एवं खान राज्य मंत्री और अध्यक्ष महोदय के संदेश सभी कार्यालयों/इकाइयों में वितरित किए गए और पढ़े गए । 2004-05 के दौरान कंपनी के कार्यालयीन कार्यों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयास किए गए । प्रधान कार्यालय और इकाइयों में हिन्दी कार्यशालाओं का संचालन कर कर्मचारियों को अपने कार्यसाधक ज्ञान का अपने दैनन्दिन कार्यालयीन कार्यों में प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया गया । राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जाँच बिन्दुओं को और प्रभावी बनाया गया । हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया गया। प्रधान कार्यालय में अध्यक्ष महोदय तथा इकाइयों में इकाई प्रधान की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने अपनी तिमाही बैठकों में हिन्दी की प्रगति तथा इसके मार्ग में आने वाली कठिनाइयों की नियमित समीक्षा की । कंपनी के प्रधान कार्याल को 12 अगस्त, 2004 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), कोलकाता की राजभाषा पुरस्कार योजना, 2003-04 के अंगर्तत हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राजभाषा वैजयन्ती प्रदान की गई ।

वर्ष के दौरान खान मंत्रालय की निरीक्षण समिति ने 16 नवम्बर, 2004 को प्रधान कार्यालय में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का निरीक्षण किया । समिति ने हिन्दी में किए जा रहे कार्यों की मात्रा पर संतोष व्यक्त किया। कम्प्यूटर में हिन्दी प्रयोग को और बढ़ाया गया । वर्ष 2003-04 का कंपनी का वार्षिक प्रतिवेदन अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी प्रकाशित किया गया है । कंपनी की वेबसाइट हिन्दी में कार्यरत है । सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी में हस्ताक्षर करने तथा फाइलों में ज्यादा से ज्यादा टिप्पणियाँ हिन्दी में लिखने की सलाह दी गई है ।

14. प्रबंधकीय विचार विमर्श और विश्लेषण

14.1 उद्योग संरचना एवं विकास

वर्ष 2004-05 में भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था ने मंदी की प्रवृत्ति से सफलतापूर्वक निकलकर अच्छा प्रदर्शन किया । वर्ष के दौरान विश्व बाजार में तांबें की माँग लगातार बढ़ती जा रही है । जापान, जिसने प्राय: संतृप्त शिखर प्राप्त कर लिया है, को छोड़कर एशिया में अभी भी उच्च वृद्धि दर है । फलस्वरूप विश्व बाजार में ताँबे का मूल्य पिछले एक वर्ष से लगातार अमेरिकी डालर 3000 से अमेरिका डालर 3300 प्रति टन के आसपास घुमता रहा और निकट भविष्य में इस प्रवृत्ति के जारी रहने की आशा है । भारत में प्राथमिक और गौण दोनों परिष्कृत ताँबे की माँग में औसतन लगभग 4-5% की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई है । विश्व के औसत 3-4% का अतिक्रमण करते हुए मोटे तौर पर देश में ताँबे के प्रयोग में इस वर्ष 5% की वृद्धि निरूपित की गई । लेकिन अभी भी हम चीन से काफी पीछे हैं, जहाँ पिछले दशक के दौरान औसत वृद्धि दर 13% है । भारत में प्राथमिक ताँबे की उत्पादन क्षमता 1997 के मात्र 47,500 मी.टन प्रति वर्ष से बढ़कर 2004 में लगभग 4,75,000 मी.टन हो गई है और आने वाले वर्षों में इसके 9,00,000 मी.टन हो जाने की आशा है ।

14.2 अवसर और आशंकाएँ

हि.कॉ.लि भारत में खनन करने वाली एकमात्र पूर्ण एकीकृत प्राथमिक ताम्र उत्पादक कंपनी है । कंपनी के पास कम पूँजी लागत में मूल्यवर्धन के लिए निर्माण क्षमता के विस्तार का तथा खनन क्षेत्र में और विकास के साथ-साथ वर्तमान खानों से उत्पादन बढ़ाकर अपनी खनन गतिविधि का श्रेष्ठतर बनाने की काफी गुंजाइश है ।

वर्तमान में ताँबे के प्रचलित वैश्विक मूल्य की तुलना में ताँबे की खनन लागत यथेष्ट कम है । उच्चतर उत्पादन तथा उत्पादकता और बेहतर तकनीकी दोनों पूँजी केन्द्रित और श्रम केन्द्रित द्वारा लाभ को और भी घनीभूत किया जा सकता है । विकसित देशों के लगभग 10 कि.ग्रा. की तुलना में भारत में प्रति व्यक्ति ताँबे की खपत 0.3 क्रि.ग्रा. है, इसलिए देश में ताँबे की वर्धित मांग वृद्धि दर की स्पष्ट गुंजाइश है ।

दूरसंचार क्षेत्र में आधारभूत संरचना और सुधार प्रक्रिया पर सरकार द्वारा अधिक जोर दिए जाने के फलस्वरूप भारतीय ताम्र उद्योग अपने गतिहीन अतीत से वर्तमान गतिशील स्थिति में पहुँच गया है । लगभग 4.50 लाख टन वार्षिक चालू मांग के 2010 तक 9.0 लाख टन तक पहुँच जाने की आशा है ।

कंपनी के आशंका बोध में अंतरराष्ट्रीय बाजार में काफी अस्थिरता, घरेलू ताँबे की मांग दर में होनेवाली वृद्धि के अनुपात में उत्पादन क्षमता में काफी अधिक वृद्धि, ऊर्जा एवं ईधन सहित निविष्टों की बढ़ती लागत और निवेश के लिए पर्याप्त निधियों की अनुपलब्धता शामिल है ।

14.3 भावी परिदृश्य

2004-05 में रु. 52.06 करोड़ का लाभ दर्ज कराने में कंपनी द्वारा की गई कार्रवाई सहायक सिद्ध हुई । हि.कॉ.लि. वर्ष 2005-06 में कंपनी के निर्णायक टर्न अराउन्ड के बारे में अब सोच रही है। जहाँ ताँबे के उच्चतर लं.धा. बाजार मूल्य ने कंपनी की खनन और अन्य प्रचालनों की समग्र व्यवहार्यता को सुधारा है वहीं हि.कॉ.लि. का जोर अब वर्ष 2005-06 में खनन उत्पादन और विकास जिसमें खेतड़ी के बनवास खंड से भंडार दोहन के लिए कूपक गर्तन (शैफ्ट सिंकिंग) शामिल है, को सुधारना, सभी उत्पादन संयंत्रों की वर्धित उपलब्धता सहित उच्चतर उत्पादन और वसूली को प्राप्त करने के लिए प्रगालक संयंत्रों की प्रचालनीय दक्षता को सुधारना, ऊर्जा, ईधन और आक्सीजन की लागत में कमी, मालसूची के साथ-साथ निविष्टों के विशिष्ट उपभोग में कमी, गैर निष्पादनीय आस्तियों और स्क्रैप का निपटान, कार्य संस्कृति में बदलाव और आउटसोर्सिंग द्वारा आवश्यकतानुसार जनशक्ति और प्रबंधकीय आवश्यक अपेक्षाओं का युक्तिकरण, ठोस कार्रवाई करने का दूसरा क्षेत्र होगा बातचीत के माध्यम से ब्याज दर में कमी करना और ऋणों के पुनर्भुगतान और पुनर्संरचना द्वारा ब्याज लागत कम करना। इसी बीच कंपनी ने पुरानी मशीनों और उपकरणों की मरम्मत तथा उन्हें बदलने के लिए एक विशेष अभियान चलाया है । निधि की कमी के कारण विगत कुछ समय से इस कार्य को अनदेखा कर दिया गया था । खनन उपकरणों को समुन्नत और खनन विकास कार्य को आंशिक हल्का करते हुए

मलंजखंड ताम्र परियोजना की खुली खान और खेतड़ी तथा कोलिहान की भूमिगत खान के लंबित विकास कार्यों को 2004-05 में किया गया। संक्षेप में 2004-05 में कंपनी का सारा जोर अपनी आधार संरचना शक्ति को श्रेष्ठतर बनाने और लाभप्रदता को बनाए रखने पर होगा ।

14.4 जोखिम एवं चिन्ताएं

रुपए की तुलना में अमेरिकी डालर का अवमूल्यन, ताँबे की टीसी/आरसी दर शुद्ध वसूली के लिए चिन्ता तथा कारण है । इसके अलावा सीमा शुल्क में और कमी की संभावना तथा लंधाबा में ताँबे के मूल्य में गिरावट वर्तमान चिन्ता को और बढ़ा रही है । तथापि व्यावसायिक दृष्टिकोण सहित तकनीकी सुविधाओं द्वारा कंपनी इन चिन्ताओं से स्वाभाविक रुप से अपनी रक्षा कर रही है ।

14.5 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उसकी पर्याप्तता

अपने आकार के समनुरूप कंपनी में सुव्यवस्थित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है । ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता के साथ-साथ प्रक्रियागत नियंत्रण को सहज बनाने के लिए ''क्रय मैनुअल'', ''ठेका मैनुअल'' को अद्यतन किया गया है । कंपनी ने बाहरी पेशेवर लेखा फर्मों को आंतरिक लेखा परीक्षा का कार्य सौंपा है । आंतरिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की बोर्ड द्वारा विवेचन की जाती है और प्रबंधन द्वारा आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है ।

14.6 सतर्कता गतिविधियाँ

अच्छे नियंत्रण के लिए आकस्मिक निगरानी/नियमित निरीक्षण किए गए। सांविधिक एजेंसियों को रिटर्न और रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और मु.सु.आ. से समय-समय पर प्राप्त दिशा निर्देशों का एहतियाती और निवारक उपायों के रूप में पालन तथा अनुसरण किया गया । प्रधान कार्यालय सहित सभी इकाइयों में 1 नवम्बर, 2004 से 6 नवम्बर, 2004 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह समारोह के आयोजन द्वारा जागरूकता पैदा करने का अभियान चलाया गया । भ्रष्टाचार के दायरे को न्यूनतम करने तथा कार्य प्रणालियों और प्रक्रियाओं को सुधारने में प्रबंधन की सहायत करने के लिए निवारक सतर्कता पर जोर दिया गया ।

14.7 प्रचालनीय कार्य-निष्पादन के संबंध में वित्तीय कार्य-निष्पादन पर विचार-विमर्ष

14.7.1 2003-04 की तुलना में 2004-05 का संक्षिप्त वित्तीय कार्य-निष्पादन नीचे दिया गया है :

(रु. करोड़ में)

शीर्ष	2004-05	2003-04
क. बिक्री	559.11	518.87
ख. उत्पादन का मूल्य	631.24	534.43
ग. मूल्यह्रास, प्रावधान और बट्टे खाते/पुनरांकन तथा ब्याज को छोड़कर उत्पादन लागत	503.45	500.70
घ. मूल्यह्रास, प्रावधान और बट्टे खाते/पुनरांकन तथा ब्याज पूर्व लाभ/(हानि)	127.79	33.73
ङ. मूल्यह्रास एवं प्रावधान वट्टे खाते/पुनरांकन	32.74	30.26
च. ब्याज	42.99	59.63
छ. कर पूर्व लाभ/(हानि)	52.06	(56.16)
ज. कर के लिए प्रावधान	0.00	0.00
झ. आस्थगित कर पूर्व लेकिन करोत्तर लाभ/(हानि)	52.06	(56.16)

14.7.2 पूँजीगत व्यय

वर्ष 2004-05 के दौरान वर्तमान संयंत्र और मशीनरी के पुनर्स्थापन एवं नवीकरण के लिए सरकार से ईक्विटी के रूप में हि.कॉ.लि ने रु. 40 करोड़ प्राप्त किए ।

14.7.3 सरकार से सहायता अनुदान

वर्ष 2004-05 के दौरान हि.कॉ.लि. ने सरकार से रु. 35.00 करोड़ स्वै.सेवा-निवृति योजना द्वारा जनशक्ति को कम करने के लिए सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त किए ।

14.7.4 बांड (सुरक्षित और असुरक्षित)

कुल रु. 63.33 करोड़ के 14% असुरक्षित निजी तौर पर दिए गए बांड में से कंपनी द्वारा पहले ही रु. 47.78 करोड़ प्रतिदेय कर दिए जाने के फलस्वरूप रु. 15.55 करोड़ शेष है, यद्यपि बांड भुगतान के लिए कालातिदेय है ।

31.3.2005 को कुल बांड एवं डिबेंचर देयता का विवरण निम्नलिखित रहा :

(करोड़ रु.)

14.00% असुरक्षित बांड	15.55
14.75% सुरक्षित बांड	4.91
10.65% सुरक्षित बांड	150.00
14% डिबेंचर	62.00
कुल	232.96

बांड और डिबेंचर और भी प्रतिदेय कर दिए गए हैं तथा इस रिपोर्ट की तिथि को बकाया देयता स्थिति इस प्रकार थी : 14% असुरक्षित बांड-रु. 14.92 करोड़, 14.75% सुरक्षित बांड - शून्य, 10.65% सुरक्षित बांड - रु. 150 करोड़ और 14% डिबेंचर - रु. 56.25 करोड़ ।

14.7.5 राजकोष में अंशदान

वर्ष 2004-2005 के दौरान कंपनी ने कुल रु. 104.50 करोड़ का अंशदान राजकोष किया, जो नीचे प्रस्तुत है :

विवरण	(करोड़ रु.)
उत्पादन शुल्क	76.36
सीमा शुल्क	0.31
बिक्री कर	9.40
रायल्टी एवं उपकर	15.62
अन्य	2.81
कुल	104.50

14.7.6 विदेशी मुद्रा में व्यय

वर्ष 2004-2005 के दौरान कंपनी ने घटकों, भंडार वस्तुओं तथा अतिरिक्त पुर्जो के आयात और यात्राओं पर रु. 2.38 करोड़ की विदेशी मुद्रा व्यय की है ।

14.7.7 विदेशी मुद्रा अर्जन

2004-2005 के दौरान कंपनी ने 2003-2004 में रिवर्टो के निर्यात द्वारा अर्जित रु. 20.09 करोड़ की तुलना में एनोड स्लाइम का निर्यात कर रु. 10.75 करोड़ की विदेशी मुद्रा अर्जित की ।

14.8 नियोजित व्यक्तियों की संख्या सहित मानव संसाधन/ औद्योगिक संबंध मोर्चे पर प्रत्यक्ष विकास

वित्त वर्ष 2004-05 के दौरान कंपनी में औद्योगिक संबंध की स्थिति शांतिपूर्ण और सद्भावपूर्ण रही । वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध समस्या को लेकर किसी मानव दिवस की क्षति नहीं हुई । जनशक्ति में कुल 330 की कमी आयी, जिसमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति द्वारा 265 कर्मचारियों को पृथक किया गया । 31.3.2004 के 5995 की तुलना में 31.3.2005 को कंपनी की जनशक्ति 5665 थी ।

14.8.1 अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए आरक्षण

31.3.2005 को कंपनी के कुल 5665 कर्मचारियों में से 15.82%, 12.09% और 12% कर्मचारी क्रमश: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के थे । पिछले 7-8 वर्षों के दौरान कोई नियुक्ति नहीं हुई ।

14.8.2 प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी

वर्षो से तीनों स्तर नामत: शीर्ष स्तर, इकाई स्तर और शॉप फ्लोर स्तर पर विभिन्न द्विपक्षीय मंचों के माध्यम से कर्मचारियों की प्रबंधन में भागीदारी ने लागत में कमी और उत्पादन, सुरक्षा, कल्याण और सौहार्दप्रद औद्योगिक संबंध के क्षेत्रों में अत्यधिक योगदान किया है ।

14.8.3 साम्प्रदायिक सामंजस्य एवं राष्ट्रीय एकता

खेतड़ी, मलंजखंड और घाटशिला के साथ-साथ अन्य कार्य-स्थलों में स्थित टाउनशिपों में विभिन्न जाति, मत, धर्म के कर्मचारी एकता की भावना के साथ रहते हैं और सभी धार्मिक उत्सवों को धूमधाम से मनाते हैं ।

14.8.3 साम्प्रदायिक सामंजस्य एवं राष्ट्रीय एकता

खेतड़ी, मलंजखंड और घाटशिला के साथ-साथ अन्य कार्य-स्थलों में स्थित टाउनशिपों में विभिन्न जाति, मत, घर्म के कर्मचारी एकता की भावना के साथ रहते हैं और सभी धार्मिक उत्सवों को धूमधाम से मनाते हैं ।

14.8.4 महिलाओं के रोजगार की स्थिति

31.3.2005 को हि.कॉ.लि. की कुल संख्या की तुलना में वर्गवार महिला कर्मचारियों की संख्या नीचे दी गई है :

वर्ग	कुल संख्या	महिला कर्मचारियों की संख्या	कुल संख्या में महिला कर्मचारियों का प्रतिशत
वर्ग - क	673	20	2.97
वर्ग - ख	138	6	4.35
वर्ग - ग	3,983	137	3.44
वर्ग - घ	871	146	16.76
कुल :	5665	309	5.45

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार हि.कॉ.लि. ने अपनी सभी इकाइयों तथा कार्यालयों में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए समितियाँ गठित की हैं । हि.कॉ.लि. के आचरण, अनुशासन तथा अपील नियमों में भी इस संबंध में एक प्रावधान शामिल किया गया है ।

रिपोर्ट वर्ष के दौरान महिलाओं के यौन उत्पीड़न या कर्मचारियों में लिंग के आधार पर कोई भेद-भाव करने की घटना प्रकाश में नहीं आयी है।

14.8.5 अपंग व्यक्ति अधिनियम, 1985 के कार्यान्वयन की स्थिति

गत 7-8 वर्षों के दौरान कंपनी में जनशक्ति को युक्तिसंगत किया जा रहा है और इसलिए नई भर्ती की कोई गुंजाइश नहीं रहने के कारण शारीरिक अस्वीकृत व्यक्तियों की भर्ती भी नहीं की जा सकी । इसके अलावा कंपनी का खनन प्रचालन खतरनाक प्रकृति का होने के कारण शारीरिक अस्वीकृत व्यक्तियों को काम देने की जगह सीमित है । 1.4.2005 को कंपनी में शारीरिक अस्वीकृत व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार थी :

समूह	शारीरिक अस्वीकृत व्यक्तियों की संख्या
ए	1
बी	1
सी	40
डी	14
कुल	56

14.8.6 मानव संसाधन विकास

कंपनी द्वारा सभी स्तर के कर्मचारियों की कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण एवं विकास को समुचित महत्व दिया जाता है । उत्पादन, उत्पादकता एवं लाभप्रदता के सर्वोच्च परिणाम प्राप्त करने के लिए तेजी से बदल रही प्रौद्योगिकी की प्रकृति समझने/अद्यतन तकनीकी को अपनाने के लिए कर्मचारियों को तैयार करने के अलावा संगठन रचना और सही रूख अपनाने, टीम भावना विकसित करने तथा कार्य संस्कृति पर विशेष बल दिया गया ।

कामगार

सांविधिक, सुरक्षा, तकनीकी एवं कार्यकारी कार्यक्रमों के अलावा कामगारों को सामान्य शिक्षा एवं विकास कार्यक्रमों के लिए भी मुक्त किया गया । समाज के कमजोर वर्गों यथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कामगारों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए । विभिन्न परियोजनाओं के प्रशिक्षण केन्द्रों में आयोजित अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल 1821 कामगारों ने भाग लिया ।

पर्यवेक्षक

उत्पादकता, सुरक्षा, लागत नियंत्रण, सम्प्रेषण एवं मानव संबंधों पर पर्यवेक्षीय विकास कार्यक्रमों में 85 प्रथम पंक्ति के शॉप फ्लोर एवं खान पर्यवेक्षकों ने भाग लिया ।

कार्यपालक

कार्यपालकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं की सुनियोजित शिनाख्त के आधार पर देश में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ संकाय को लेकर कंपनी में प्रबंध कार्यक्रम आयोजित किए गए । 341 कार्यपालकों को या तो कंपनी के घरेलू कार्यक्रमों के लिए मुक्त किया गया अथवा देश में विभिन्न संस्थानों द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित कार्यक्रमों में प्रतिभूत किया गया ।

15. खनन पट्टे की स्थिति

केसीसी स्थित खेतड़ी, कोलिहान और चाँदमारी के खनन पट्टे क्रमश: 22.2.2013, 23.11.2016 और 26.12.2012 तक वैध हैं। मलंजखंड के खनन पट्टे सं. 1 एवं 2 (चालू खानों के लिए) 26.8.2013 तक वैध है। मलंजखंड में भूमिगत खनन के विकास के लिए दो और पट्टों (पट्टा सं. 3 और 4) की मंजूरी के लिए हि.का.लि. का आवेदन मध्यप्रदेश राज्य सरकार के पास प्रक्रियाधीन है । भूमिगत खान की विकास खनन योजना तैयार कर ली गयी है और प्रस्तुत करने के अग्रिम चरण में है, क्योंकि भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अनुमोदन मंजूरी के लिए यह पूर्वापेक्षित है । आईसीसी के राखा खनन पट्टे के समर्पण के लिए 17.5.2002 को आवेदन झारखंड राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया है । राज्य सरकार के अन्तिम अनुमोदन की प्रतीक्षा है । आईसीसी के मुसाबनी खनन पट्टे की सभी खानें बंद कर दी गयी हैं, अत: सुरदा खान, जिसे श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के साथ हुई त्रिपक्षीय बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार वर्कर्स को-आपरेटिव द्वारा चलाया जाना प्रस्तावित है, को छोड़कर खनन पट्टों का नवीकरण नहीं कराते हुए 15.6.2004 को उन्हें समाप्त हो जाने दिया गया । सुरदा खान को चलाने के लिए 388.68 हेक्टेयर क्षेत्र पर मोसाबनी खनन पट्टे के आंशिक नवीकरण को खान

विभाग, झारखंड सरकार के समक्ष हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के पक्ष में नवीकृत कराने के लिए 5.6.2004 को प्रस्तुत किया गया है । इस पट्टे के नवीकरण के बाद इसे सुरदा खान चलाने के लिए वर्कर्स को-आपरेटिव के नाम पर हस्तानांतरित कर दिया जाएगा।

16. निगमित प्रबंध

सेबी के निर्देशों तथा स्टॉक एक्सचेंज सूचीकरण अपेक्षा के अनुसार निगमित प्रबंधन के संबंध में एक रिपोर्ट निगमित प्रबंध पर सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी प्रमाणपत्र के साथ अनुलग्नक 1 में प्रस्तुत है, जो इस रिपोर्ट का एक भाग है ।

17. निदेशकों की जिम्मेदारी सम्बंधी विवरण

i. आपके निदेशक पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त अवधि के लिए वार्षिक लेखों को तैयार करते समय उपयुक्त लेखा मानकों को सामग्री संबंधी रवानगी/घट-बढ़ के यथोचित स्पष्टीकरणों के साथ अपनाया गया है ।

ii. ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया गया है तथा अपनाया गया है जो युक्तिसंगत एवं दूरदर्शी हैं तथा 31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी के क्रिया कलापों तथा इसी वर्ष की कंपनी के लाभ-हानि की सही एवं निष्पक्ष राय देती है ।

iii. कंपनी की आस्तियों को सुरक्षित रखने वाले तथा जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं का निरोध एवं पर्दाफाश करने वाले अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखा अभिलेखों की यथोचित देख रेख के लिए समूचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गयी है ।

iv. निदेशकों ने वार्षिक लेखों को कंपनी के चलने योग्य आधार पर तैयार किया है ।

18. राष्ट्रपति से निर्देश

वर्ष 2004-2005 के दौरान कंपनी ने राष्ट्रपति से कोई निर्देश प्राप्त नहीं किया है ।

19. निदेशक मंडल

कंपनी के पिछले प्रतिवेदन के पश्चात निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :

श्रीमती सुधा पिल्लई 18.8.2004 से हि.का.लि. की अंशकालिक सरकारी निदेशक नहीं रहीं और श्री आर. के. भार्गव, अपर सचिव (खान) ने 18.8.2004 से श्रीमती सुधा पिल्लई के स्थान पर अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में प्रभार ग्रहण किया।

श्री वी. के. ठकराल, संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय को श्री हेम पांडे, जो 28.8.2004 से निदेशक नहीं रहे, के स्थान पर हि.का.लि. के बोर्ड में 18.11.2004 को अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया ।

सर्वश्री एम. समाजपति एव पी. स्वरूप क्रमश: 27.9.2004 एवं 23.2.2005 को हि.कॉ.लि. के निदेशक (वित्त) और निदेशक (प्रचालन) के रूप में नियुक्त हुए ।

एसटीसी लि. में निदेशक (कार्मिक) के रूप में कार्यग्रहण करने के फलस्वरूप श्री राणा सोम 31.3.2005 से निदेशक (कार्मिक) एवं कार्यकारी अ.प्र.नि. नहीं रहे । श्री एम. समाजपति, निदेशक (वित्त) ने 31.3.2005 से हि.कॉ.लि. के कार्यकारी अ.प्र.नि. का प्रभार ग्रहण किया।

निदेशक मंडल श्रीमती सुधा पिल्लई, श्री हेम पांडे, श्री राणा सोम द्वारा हि.कॉ.लि. के बोर्ड में अपने कार्यकाल के दौरान दी गई बहुमूल्य सेवाओं और योगदान के लिए आभार व्यक्त करता है ।

20. लेखा परीक्षक

मेसर्स दिनेश मेहता एंड कंपनी, नई दिल्ली तथा मेसर्स एम. सी. भंडारी एंड कंपनी, कोलकता की वर्ष 2004-2005 में कंपनी के लेखों की लेखा परीक्षा हेतु संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति की गई।

केसीसी तथा आईसीसी में क्रमश: गंधकाम्ल के निर्माण संबंधी 2004-2005 के लागत लेखों की लेखा परीक्षा हेतु मेसर्स एच तारा एंड कंपनी, नई दिल्ली तथा मेसर्स शेखर रंजन गुहा, कोलकाता की कंपनी के लागत लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्ति की गई ।

लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक

कंपनी अधिनियन, 1956 की धारा 224 के अनुसार भारत के लेखा नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा धारा 619 के अंतर्गत नियुक्त किए जाने वाले लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक कंपनी द्वारा साधारण सभा में या साधारण सभा में जैसा कंपनी संकल्प करे, उस तरह निश्चित किया जाना है । अत: भारत के लेखा नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की सिफारिश पर केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले वर्ष 2004-2005 के सांविधिक लेखा परीक्षकों की पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए शेयरधारकों के विचार हेतु साधारण कार्य व्यापार के तहत एक साधारण संकल्प की बोर्ड ने अनुशंसा की है ।

21. लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों के मन्तव्य तथा प्रबंधन का जवाब

इस प्रतिवेदन में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत 31.3.2005 को समाप्त वर्ष में कंपनी के लेखों पर लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का मन्तव्य तथा आपकी कंपनी के लेखों की ले.नि.एवं म.ले. परीक्षक द्वारा समीक्षा और सांविधिक लेखा परीक्षकों के विचार प्रबंधन के उन पर जवाब सहित संलग्न है ।

22. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2 क) की अपेक्षानुसार कर्मचारियों का विवरण

कंपनी के किसी कर्मचारी ने कंपनी (कर्मचारियों का विवरण) नियम, 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) में निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया है ।

23. कृतज्ञता ज्ञापन

अंत में आपके निदेशकगण समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कठिन परिश्रम करने वाले सभी कर्मचारियों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं । निदेशक मंडल भारत सरकार के खान मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त बहुमूल्य सहयोग एवं मार्गदर्शन तथा राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों, कंपनी के बैंकरों, लेखा परीक्षकों, ले. नि. एवं म.ले.प., ग्राहकों तथा विभिन्न परियोजनाओं के मान्यताप्राप्त श्रमिक संघों के पदाधिकारियों से प्राप्त सहायता के लिए भी कृतज्ञता ज्ञापित करता है ।

कृते निदेशक मंडल और उसकी ओर से

एम समाजपति

कार्यकारी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 20 जुलाई, 2005

स्थान : कोलकाता

निदेशक मंडल के प्रतिवेदन का अनुलग्नक — I

निगमित प्रबंध पर रिपोर्ट

सूचीबद्धता करार के खंड 49 के अनुसार निगमित प्रबंध के प्रावधानों के अनुपालन की रिपोर्ट नीचे प्रस्तुत है ।

निगमित प्रबंध पर कंपनी का दर्शन

अच्छे निगमित प्रबंध का मतलब अच्छी कारोबार प्रथाएं अपनाना है ताकि कंपनी केवल नियामक रूपरेखा में ही न चले बल्कि आचार नीति से भी मार्गदर्शन प्राप्त करे । ऐसी निगमित प्रथाएं कंपनी के प्रभारी के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के साथ साथ निवेशकों, ग्राहकों, ऋणदाताओं, कर्मचारियों और समाज को भी काफी लाभ पहुँचाती है ।

अधिदशात्मक आवश्यकता

1. निदेशक मंडल

क. बोर्ड का गठन

रिपोर्ट तिथि को कंपनी के निदेशक मंडल में दो कार्यकारी निदेशक शामिल हैं - निदेशक (वित्त) जो कार्यकारी अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक भी हैं, निदेशक (प्रचालन) और खान मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले दो सरकारी निदेशक । बोर्ड में अभी कोई स्वतंत्र निदेशक (अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक) नहीं हैं और दो पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशकों यथा नियामित अ.प्र.नि. और निदेशक (कार्मिक) के पद क्रमश: 30.11.2003 एवं 31.3.2005 से रिक्त पड़े हैं अत: हिकॉलि ने खान मंत्रालय से अनुरोध किया है कि बोर्ड में अपेक्षित संख्या में निदेशकों को पदासीन करें ताकि निगमित प्रबंध की अपेक्षानुसार विभिन्न समितियों के साथ-साथ बोर्ड का सम्पक गठन किया जा सके ।

निदेशक मंडल के सदस्यों का निदेशक पारिश्रमिक प्राप्ति को छोड़कर कंपनी, इसके प्रमोटरों के साथ कोई भौतिक द्रव्य विषयक संबंध या लेन देन नहीं है जो बोर्ड के निर्णय में निदेशकों के निर्णय करने की स्वतंत्रता को प्रभावित करे ।

बोर्ड सदस्यों का विवरण नीचे दिया गया है :

नाम	निदेशक की श्रेणी	बाहरी निदेशकता की संख्या	बाहरी समिति में धारित उच्च पद की संख्या	
			अध्यक्ष	सदस्य
कार्यपालक				
श्री एम. समाजपति, नि. (वित्त) एवं कार्यकारी अ.प्र.नि *(27.9.04)	कार्यकारी	-	-	-
श्री पी. स्वरूप, नि. (प्रचा.) (23.2.05 से)	कार्यकारी	1	-	-
श्री राणा सोम, नि. (का.) (31.3.05 तक)	कार्यकारी	-	-	-
गैर कार्यपालक (सरकारी निदेशक)				
श्री आर. के. भार्गव (18.8.04 तक)	अंशकालिक सरकारी	1	1	-
श्री वी. के. ठकराल (18.11.04 से)	अंशकालिक सरकारी	1	-	1
श्रीमती सुधा पिल्लई (2.07.04 से 18.08.04 तक)	अंशकालिक सरकारी	-	-	-
श्री मधुकर गुप्ता (2.7.04 तक)	अंशकालिक सरकारी	-	-	-
श्री हेम पांडे (28.8.04 तक)	अंशकालिक सरकारी	2	-	2
गैर कार्यपालक (स्वतंत्र निदेशक)				
श्री एस. बी. कुचेरिया (28.5.04 तक)	अंशकालिक गैर सरकारी	3	2	2
श्री वी. के. चनाना (28.5.04 तक)	अंशकालिक गैर सरकारी	8	-	2

* 31.3.2005 से कार्य. अप्रनि का अतिरिक्त प्रभार

(ख) निदेशकों की उपस्थिति

वर्ष 2004-2005 के दौरान बोर्ड की बैठकों में तथा पिछली साधारण सभा में निदेशकों की उपस्थिति नीचे दी गई है :

निदेशकों के नाम	7 बोर्ड बैठकों से उपस्थिति दर्ज गई बैठक (कों) की सं.	पिछली वार्षिक साधारण सभा में उपस्थिति
श्री एम. समाजपति	5	उपस्थित
श्री पी. स्वरूप	2	-
श्री राणा सोम	7	उपस्थित
श्री आर. के. भार्गव	6	उपस्थित
श्री वी. के. ठकराल	4	-
श्रीमती सुधा पिल्लई	-	-
श्री मधुकर गुप्ता	-	-
श्री हेम पांडे	2	-
श्री वी. के. चनाना	-	-
श्री एस. बी. कुचेरिया	1	-

वर्ष 2004-2005 के दौरान 7 (सात) बोर्ड बैठकें 29.4.2004, 26.8.2004, 9.11.2004, 2.12.2004, 7.1.2005, 24.2.2005, 31.3.2005 को हुई तथा बोर्ड के अधिकांश सदस्य उपस्थित हुए । तथापि जो निदेशक पूर्वव्यस्तता के कारण बैठक में भाग नहीं ले पाए, उनकी अनुपस्थिति छुट्टी को मंजूर कर लिया गया ।

(ग) बोर्ड की प्रक्रिया

बोर्ड की बैठकें आमतौर पर दिल्ली में होती हैं । बोर्ड की प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बैठक होती है, जिसमें रणनीति निर्माण, नीति एवं नियंत्रण, अधिकारों का प्रतिनिधान तथा तिमाही परिणामों का अनुमोदन, वार्षिक प्रचालन योजना तथा बजट, इकाइयों के कार्य निष्पादन की समीक्षा तथा आवश्यक सांविधिक विषय पर विचार किया जाता है । बैठक की कार्यसूची अ.प्र.नि./कार्यकारी निदेशकों की परामर्श से कंपनी सचिव तैयार करते है और बोर्ड कागजात निदेशकों को अग्रिम ही वितरित कर दिए जाते हैं । बोर्ड के सदस्यों की पहुँच सभी सूचनाओं तक होती है और वे कार्यसूची में विचार के लिए किसी विषय को शामिल करने की सिफारिश करने के लिए स्वतंत्र होते हैं । कंपनी के वरिष्ठ कार्यपालकों को बैठक में उपस्थित होने का आमंत्रण दिया जाता है और जरूरत होने पर वे स्पष्टीकरण प्रदान करते है । अंशकालिक निदेशक बोर्ड बैठक में चर्चा के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं तथा वित्त, विपणन, विधि, लोक नीति और प्रचालन के क्षेत्र में अपना विस्तृत अनुभव कंपनी के समक्ष रखते हैं ।

कंपनी की (4) प्रचालनरत इकाइयों खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स (केसीसी), इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स (आईसीसी), मलंजखंड ताम्र परियोजना (मताप) तथा तलोजा ताम्र परियोजना (ततप) का नेतृत्व इकाई-प्रधान करते हैं जो कार्यकारी निदेशकों एवं अ. प्र. नि. की व्यापक देखरेख में काम करते हैं ।

घ. निदेशकों का पारिश्रमिक

i. अंशकालिक निदेशकों की सिटिंग फीस

28.5.2005 को हि.कॉ.लि. बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है । खान मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले अंशकालिक सरकारी निदेशक तथा पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक सिटिंग फीस के हकदार नहीं हैं । अंशकालिक गैर सरकारी निदेशका

को प्रत्येक बोर्ड बैठक के लिए रु. 800/- की दर से और प्रत्येक समिति बैठक के लिए रु. 400/- की दर से सिटिंग फीस दी जाती है । अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों को 1.4.2004 से 31.3.2005 की अवधि के दौरान प्रदत्त सिटिंग फीस निम्न प्रकार थी :

गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक	बोर्ड बैठक के लिए (रु.)	समिति बैठक के लिए (रु.)
श्री वी. के. चनाना	-	-
श्री. एस. बी. कुचेरिया	800	-

ii पूर्णकालिक निदेशकों को पारिश्रमिक

2004-2005 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक का विवरण इस प्रकार रहा :

निदेशकों का पारिश्रमिक	(लाख रु. में)
वेतन एवं भत्ते	4.96
भविष्य निधि में अंशदान	0.49
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	1.47
छुट्टी नकदीकरण	1.13
ग्रेच्यूटी	-
कुल	8.05

2. लेखा परीक्षा समिति

हिकॉलि बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों का अपना कार्यकाल पूरा होने पर सेवा निवृत्त हो जाने से वर्ष 2004-05 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठकें नहीं हो पायी । इसलिए कंपनी ने मंत्रालय के समक्ष अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला रखा है, जिनके बोर्ड में आगमन पर लेखा परीक्षा समिति का पुर्नगठन किया जाएगा ।

3. पारिश्रमिक समिति

सरकारी कंपनी होने के कारण भारत सरकार द्वारा निदेशकों की नियुक्ति के लिए पारिश्रमिक, नियम एवं शर्तें तय की जाती हैं । अत: कंपनी द्वारा कोई पारिश्रमिक समिति गठित नहीं की गई है ।

4. निवेशक शिकायत समिति

सरकार द्वारा हिकॉलि बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद निवेशक शिकायत समिति गठित की जाएगी । 31.3.2005 को बकाया शिकायत शून्य थी । वर्ष के दौरान कोई बैठक नहीं हुई ।

5. शेयर अंतरण समिति

कंपनी में सभी कार्यकारी निदेशकों को शामिल कर शेयर/बांड अंतरण समिति नामक बोर्ड की एक उप समिति पहले से ही विद्यमान है। 2003-2004 के दौरान समिति ने 11 (ग्यारह) बार 24.4.2004, 2.6.2004, 3.7.2004, 4.8.2004, 7.9.2004, 27.9.2004, 2.11.2004, 9.12.2004, 12.1.2005, 9.2.2005, 14.3.2005 को बैठक की तथा शेयरों, बांडों के अंतरण/अग्रेषण तथा डुप्लीकेट सर्टिफिकेट को जारी करने आदि का अनुमोदन किया । सूचीबद्धता करार खण्डों के अनुसार कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित किया गया है । 31.3.2005 को शेयर/बांड अंतरण का कोई मामला लंबित नहीं था ।

6. साधारण सभा

विगत 3 वित्तीय वर्षों के दौरान हुई साधारण सभा के स्थान तथा समय निम्न प्रकार थे :

वर्ष	वार्षिक साधारण सभा			विशेष साधारण सभा		
	तिथि	स्थान	समय	तिथि	स्थान	समय
2002	27.09.2002	कोलकाता	अपराह्न 3.30	20.02.2002	कोलकाता	अपराह्न 4.30
2003	30.09.2003	कोलकाता	अपराह्न 4.00	-	-	-
2004	30.09.2004	कोलकाता	अपराह्न 4.00	-	-	-

गत दो वार्षिक साधारण सभाओं में कंपनी की अधिकृत शेयर पूँजी बढ़ाने और अधिमान्यता आधार पर भारत के राष्ट्रपति को शेयर जारी करने के विशेष संकल्प पारित किए गए ।

विगत वर्ष कोई विशेष संकल्प मतपत्रों द्वारा नहीं रखा गया ।

7. प्रकटीकरण

वर्ष 2004-2005 के दौरान कंपनी ने निदेशकों के साथ ऐसा कोई द्रव्यात्मक प्रकृति का लेन देन नहीं किया है जो कंपनी के हितों के व्यापक प्रतिकूल होने की संभावना रखने में स्वतंत्र हो । कंपनी पर स्टाक एक्सचेंज अथवा सेबी द्वारा पूँजी बाजार से संबंधित किसी भी विषय पर दण्ड, आक्षेप नहीं लगाया गया ।

8. संचार माध्यम

कंपनी अपने शेयरधारियों से अपनी वार्षिक रिपोर्ट वित्तीय परिणामों के प्रकाशन तथा सभी सांविधिक निकायों में रिपोर्टों एवं रिटर्नों की प्रस्तुती एवं फाइलिंग के माध्यम से संवाद करती है । कंपनी का वार्षिक प्रतिवेदन कंपनी की वेबसाईट www.hindustancopper.com पर भी प्रदर्शित है । 2004-2005 के दौरान अलेखापरीक्षित कार्यकारी परिणाम फाइनेंसियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी समाचार पत्र) तथा संवांद प्रतिदिन (बंगला समाचार पत्र) में कंपनी द्वारा प्रकाशित कराए गए थे । वर्ष के दौरान किसी संस्था निवेशक या कोई विश्लेषणकर्ता को कोई प्रस्तुतीकरण नहीं दिया गया ।

9. सामान्य शेयरधारकों की सूचना

i. 38वीं वार्षिक साधारण सभा

तिथि : 30.9.2005

समय : अपराह्न 4.00

स्थान : ताम्र भवन

1 आशुतोष चौधरी एवेन्यू, कोलकाता - 700019

ii. वित्त वर्ष 2005-2006 (अनन्तिम)

तिमाही परिणाम

30 जून, 2005 का	:	जुलाई, 2005 का 4था सप्ताह
30 सितम्बर, 2005 का	:	अक्तूबर, 2005 का 4था सप्ताह
31 दिसम्बर, 2005 का	:	जनवरी, 2006 का 4था सप्ताह
31 मार्च, 2006 का	:	अप्रैल, 2006 का 4था सप्ताह
iii. बही-बन्दी तिथि	:	23.9.2005 से 30.9.2005 (दोनों तिथियों के साथ)
iv. लाभांश भुगतान तिथि	:	कंपनी द्वारा किसी भी लाभांश की सिफारिश नहीं की गयी है ।
v. स्टाक कोड के साथ शेयर बाजारों में इक्विटी शेयरों का सूचीकरण	:	कोलकाता - 18067 मुम्बई - 513599 दिल्ली - 6917 चेन्नई - हिन्दकॉपर अहमदाबाद - 24709/हिन्दुस्ताकॉ उपरोक्त सभी स्टॉक एक्सचेंजों को 2005-2006 के वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान कर दिया गया है ।

vi. शेयरों बाजार मूल्य आँकड़े : वित्त वर्ष 2004-2005 के दौरान मुवई शेयर बाजार (बीएसई) में शेयरों की हुई सौदेबाजी का मासिक उच्च और निम्न भाव :

मास	बी एस ई	
	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)
अप्रैल, 2004	51.90	42.05
मई, 2004	50.00	33.40
जून, 2004	36.50	28.06
जुलाई, 2004	36.25	27.25
अगस्त, 2004	33.11	29.20
सितम्बर, 2004	44.00	29.61
अक्तुबर, 2004	49.21	38.21
नवम्बर, 2004	46.00	37.00
दिसम्बर, 2004	43.00	34.96
जनवरी, 2005	43.00	34.90
फरवरी, 2005	64.91	37.50
मार्च, 2005	81.50	56.11

vii. रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता

कंपनी का ताम्र भवन, 1 आशुतोष चौधरी एवेन्यू, कोलकाता में स्थित अपने निगमित एवं पंजीकृत कार्यालय में पूर्ण विकसित शेयर कक्ष है । तथापि डिमैट से संबंधित सभी शेयरों के मामलों और कंम्पूटर में सारे रिकार्ड की देखभाल पर ध्यान देने के लिए कंपनी ने मेसर्स एमसीएस लि. 77/2 ए हाजरा रोड, कोलकाता 700 029 को नियुक्त किया है ।

viii. शेयर अंतरण प्रणाली

कंपनी द्वारा प्राप्त शेयर अंतरण के आवेदनों पर कार्रवाई की जाती है तथा जैसाकि शेयर बाजारों के सूचीकरण मानकों में निर्दिष्ट है, आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर प्रमाण पत्र प्रेषित कर दिए जाते हैं ।

ix. 31 मार्च, 2005 को शेयरधारिता प्रतिमान :

श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या	%
1. भारत के राष्ट्रपति	72,44,19,500	99.48
2. म्युचुअल फंड	300	00.00
3. वित्तीय संस्थान	18,75,500	00.257
4. निजी निगमित निकाय	5,20,806	0.072
5. कर्मचारियों सहित भारतीय जनता	13,70,611	0.187
6. एनआरआई/ओसीबी	31,283	0.004
कुल	72,82,18,000	100.00

निदेशक मंडल के तिवेदन का अनुलग्नक – I (जारी)

x. 31 मार्च, 2005 को शेयरधारिता का वितरण :

विस्तृति		शेयर	फोलियो	% शेयर
1	500	588111	2968	0.0808
501	1000	184466	219	0.0253
1001	2000	207000	131	0.0284
2001	3000	113309	44	0.0156
3001	4000	75400	21	0.0104
4001	5000	57731	12	0.0079
5001	10000	170383	25	0.0234
10001	50000	474200	26	0.0651
50001	100000	53100	1	0.0073
100001	एवं अधिक	726294300	7	99.7358
कुल		728218000	3444	100.0000

xi. शेयरों का डिमैटिरियलाइजेशन

कंपनी के शेयर इलेक्ट्रानिक विधि में अनिवार्य रूप से कारोबार योग्य है और राष्ट्रीय प्रतिभूति भंडार लि. (एनएसडीएल) और केन्द्रीय भंडार सेवा (भारत) लि. (सीडीएसएल) दोनों भंडारों में कारोबार के लिए उपलब्ध है । अंतराष्ट्रीय प्रतिभूति शिनाख्त संख्या (आईएसआईएन) कंपनी के इक्विटी शेयर के लि 11.9.02 से आईएनई 531 ई 01018 आबंटित की गई है । 31.3.05 को डिमैटिरियलाइजेशन की स्थिति इस प्रकार थी ।

विवरण	शेयरों की सं.	धारिता का %	फोलियों सं.
डिमैट :			
क. एन एस डी एल	34,19,200	0.469	1758
ख. सी डी एस एल	–	–	–
भौतिक :			
क. भारत सरकार	72,44,19,500	99.478	1
ख. अन्य	3,79,300	0.053	1685
कुल :	72,82,18,00	100.000	3444

xii. बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय इंस्ट्रूमेंट, परिवर्तन तिथि और ईक्विटी पर संभावित प्रभाव :
कंपनी ने आज की तिथि तक कोई जीडीआर/एडीआर या कोई परिवर्तनीय इंस्ट्रूमेंट जारी नहीं किया है ।

xiii. संयंत्र स्थान

इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स
पो. आ. घाटशिला
जिला - सिंहभूम
झारखंड

खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स
पो. आ. खेतड़ीनगर
जिला - झुंझुनू
राजस्थान

मलंजखंड ताम्र परियोजना
पो. आ. मलंजखंड
जिला - बालाघाट
मध्य प्रदेश

तलोजा ताम्र परियोजना
पो. आ. तलोजा
जिला - रायगढ़
महाराष्ट्र

xiv. पत्राचार का पता

शेयरधारक अपेक्षित सूचना के लिए कंपनी सचिव, हि.कॉ.लि. निगमित कार्यालय, 1, आशुतोष चौधरी एवेन्यू, कोलकाता - 700 019 को लिखें या अपनी जिज्ञासा हिन्दकॉप@बीएसएनएल.काम में ई-मेल करें ।

अनधिदेशात्मक आवश्यकताएं

क. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक समेत कंपनी के सभी पूर्णकालिक निदेशक भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं तथा उनकी नियुक्ति की शर्तों के तहत ही उन्हें पारिश्रमिक प्रदान किया जा रहा है । अत: कंपनी ने निदेशकों के पारिश्रमिक के संबंध में नीति निर्धारण के लिए कोई पारिश्रमिक समिति नहीं बनाई है ।

ख. बोर्ड के अध्यक्ष कंपनी के एक पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक हैं । उन्हें केवल वही सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जो भारत सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति के नियमों एवं शर्तों के अधीन स्वीकृत है ।

ग. वित्तीय कार्य-निष्पादन की तिमाही घोषणा तथा महत्वपूर्ण घटनाओं का सारांश प्रेस विज्ञापनों के माध्यम से शेयरधारकों को अवगत करा दिया जाता है ।

घ. कंपनी की नीति के अनुसार अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है ।

निगमित प्रबंध पर अनुपालन प्रमाण पत्र

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड

कोलकाता के सदस्यो

31.03.2005 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी द्वारा शेयर बाजार(रों) के साथ किए गए सूचीबद्धता करार के खंड 49 में अनुबंधित हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा निगमित प्रबंध की शर्तों के अनुपालन की जाँच हमने की है ।

निगमित प्रबंध की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन का दायित्व है । हमारी जाँच कंपनी द्वारा निगमित प्रबंध की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनायी गयी प्रक्रिया और कार्यान्वयन तक सीमित थी । कंपनी के वित्तीय विवरण पर यह न तो लेखा परीक्षा है न ही राय की अभिव्यक्ति है ।

हमारी राय में तथा अधिकतम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम एतद् द्वारा प्रमाणित करते हैं कि स्वतंत्र निदेशक के अभाव के कारण वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति की कोई बैठक नहीं हुई, को छोड़कर कंपनी ने उपर्युक्त उल्लेखित सूचीबद्धता करार में अनुबंधित निगमित प्रबंध की शर्तों का अनुपालन किया है ।

हम बयान करते हैं कि शेयर धारक/निवेशक शिकायत समिति द्वारा रखे गए रिकार्ड के अनुसार कंपनी के विरूद्ध एक माह से अधिक समय तक लंबित कोई शिकायत नहीं है ।

हम और भी बयान करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के रूप में कोई आश्वासन है न ही प्रबंधन द्वारा संचालित कंपनी के कार्यों के संबंध में दक्षता या प्रभावशालिता है ।

कृते तथा की ओर से

दिनेश मेहता एंड कं.
सनदी लेखाकार

अनूप मेहता
साझेदार

एम. सी. भंडारी एंड कं.
सनदी लेखाकार

एम. आर. जैन
साझेदार

दिनांक : 20 जुलाई, 2005
स्थान : कोलकाता

निदेशक मंडल के प्रतिवेदन का परिशिष्ट

सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ (संदर्भ : सांविधिक लेखा परीक्षकों की दिनांक 20 जुलाई, 2005 की रिपोर्ट) तथा कंपनी का स्पष्टीकरण

लेखा परीक्षकों की टिप्पणी सं.	**विषय**	**कंपनी का स्पष्टीकरण**
4(घ)(1)	समय बहाव के लिये स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास संबंधी लेखा प्राचल सं. 6 को प्राथमिकता। इस संबंध में कंपनी की लेखा नीति का अनुसरण किया गया है ।	यह लेखा नीति सं. 4.1 के और लेखा की टिप्पणी सं. 7 में स्पष्ट किए अनुसार है ।
5(2)	एमसीपी की खानों एवं संयंत्रों में लागू विद्युत शुल्क की दरों के अन्तर के अप्रभारित रु. 61,420 हजार जो विचाराधीन है ।	लेखा की टिप्पणी सं. 9 स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।
5(3)	बकाया ईंधन अधिभार और जलकर पर ब्याज देयता के रु. 276,093 हजार के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है, जो कुछ बंद इकाइयों की टाऊनशिप आस्तियों के हस्तानांतरण के लिए राज्य सरकार के साथ हुए एक पेकेज लेनदेन में निश्चित हुई है ।	लेखा की टिप्पणी सं. 10 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।
5(4)	जलकर के लिए रु. 13,080 हजार का कम प्रावधान ।	लेखा की टिप्पणी सं. 11 में इसे स्पष्ट कर दिया गया है ।
5(5)	आपूर्ति ठेका के लिए रु. 20,661 हजार का कम प्रावधान ।	लेखा की टिप्पणी सं. 17 में इसे विधिवत स्पष्ट कर दिया गया है ।
5(7)	बेकार स्थायी आस्तियों के लिए बनाए गए प्रावधानों की पर्याप्तता या अन्य को अभिनिश्चित नहीं किया गया है क्योंकि इन आस्तियों के शुद्ध वसूली मूल्य का अभी निर्णय किया जाना है ।	लेखा की टिप्पणी सं. 12 में स्थिति विधिवत् स्पष्ट कर दी गई है ।

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 24 अगस्त, 2005

एम. समाजपति
कार्य. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निदेशक मंडल के प्रतिवेदन का परिशिष्ट

सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ (संदर्भ : सांविधिक लेखा परीक्षकों की 20 जुलाई, 2005 की रिपोर्ट) तथा कंपनी का स्पष्टीकरण

लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक

लेखा परीक्षकों की टिप्पणी सं.	**विषय**	**कंपनी का स्पष्टीकरण**
2 (क)	एक इकाई को छोड़कर प्रबंधन द्वारा भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जों के प्रत्यक्ष सत्यापन की अपनायी गयी प्रक्रिया यथोचित और पर्याप्त है ।	भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जों के प्रत्यक्ष सत्यापन का कार्य बाहर से कराया गया है लेकिन लेखा परीक्षा तिथि तक वास्तविक कार्य शुरू नहीं हुआ ।

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 24 अगस्त, 2005

एम. समाजपति
कार्य. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कंपनी अधिनियम, **1956** की धारा **619(4)** के अंतर्गत **31** मार्च, **2005** को समाप्त वर्ष के लिए हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता के लेखों पर भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

मुझे यह कहना है कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत 31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता के लेखों पर लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन के संबंध में भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कोई टिप्पणी या परिशिष्टि नहीं करनी है ।

अरिजीत गाँगुली
वाणिज्य लेखा-परीक्षा के प्रधान निदेशक
एवं लेखा–परीक्षा परिषद - 1 कोलकाता
के पदेन सदस्य

दिनांक : 1 सितम्बर, 2005
स्थान : कोलकाता

भारत के लेखा नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा 31, मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिए हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के लेखों की समीक्षा

(लेखों की समीक्षा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) की टिप्पणियों और सांविधिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट में उल्लिखित गुण-दोषों पर विचार किये बिना तैयार की गयी है ।)

1. वित्तीय स्थिति

निम्नलिखित तालिका पिछले तीन लेखा अवधियों की वित्तीय स्थिति को संक्षेप में मुख्य-मुख्य शीर्षकों के अंतर्गत दर्शाती है :

(करोड़ रु.)

	2002-2003	2003-2004	2004-2005
देयताएँ			
क) प्रदत्त पूँजी			
1. भारत सरकार (शेयर जमा सहित)	791.31	905.15	**945.15**
2. अन्य	3.80	3.80	**3.80**
ख) प्रारक्षित एवं अधिशेष			
1. मुक्त प्रारक्षित एवं अधिशेष	0.37	0.34	**1.36**
2. पूँजीगत प्रारक्षित निधि	6.54	7.10	**8.57**
ग) ऋणादान			
1. बाँड	216.32	188.12	**154.91**
2. डिबेंचर	100.00	87.50	**62.50**
3. सार्वजनिक जमा	0.01	0.01	**0.01**
4. बैंक से नकद ऋण	139.48	76.11	**118.23**
5. अन्य ऋण	40.30	86.74	**15.55**
6. प्रोद्भूत एवं देय ब्याज	0.32	0.33	**5.34**
घ) चालू देयताएँ एवं प्रावधान	386.13	256.18	**267.41**
कुल	1684.58	1611.38	**1582.83**
आस्तियाँ			
ङ) कुल खंड	692.60	694.75	**673.47**
च) घटाएँ : संचित मूल्यह्रास	462.76	478.45	**472.86**
छ) शुद्ध खंड	229.84	216.30	**200.61**
ज) पूँजीगत चालू कार्य	21.01	18.30	**16.67**
झ) खान विकास व्यय	293.49	281.26	**276.03**
ञ) छांटी हुई स्थायी आस्तियाँ	–	0.79	**1.55**
ट) चालू आस्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	360.18	255.17	**301.35**
ठ) आस्थगित कर आस्तियॉ	–	–	**4.98**
ड) विविध व्यय (जिन्हें बट्टे खाते नहीं डाला गया)	–	3.37	**–**
ढ) संचित हानियाँ	780.06	836.19	**781.64**
कुल	1684.58	1611.38	**1582.83**
ण) कार्यकारी पूँजी [ट+ञ-ग(6)-घ]	(-) 26.27	(-) 0.55	**30.15**
त) नियोजित पूँजी (छ+ण)	203.57	216.85	**230.76**
थ) शुद्ध मूल्य [(क+ख(1)-ड-ढ]	15.42	69.73	**163.67**
द) अभिदत्त पूँजी का प्रति रूपए शुद्ध मूल्य (रुपए में)	0.02	0.08	**0.18**

भारत के लेखा नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा 31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के लेखों की समीक्षा

(लेखों की समीक्षा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) की टिप्पणियों और सांविधिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट में उल्लिखित गुण-दोषों पर विचार किये बिना तैयार की गयी है ।)

(करोड़ रु.)

		2002-2003	2003-2004	2004-2005
2.	**कार्य परिणाम**			
1.	बिक्री	506.11	499.80	559.56
2.	घटाएँ : उत्पादन शुल्क	71.27	66.80	76.36
3.	शुद्ध बिक्री	434.84	433.00	483.20
4.	अन्य विविध आय	10.06	12.43	12.04
5.	कर पूर्व लाभ/हानि एवं पूर्व अवधि का समायोजन	146.38	(-) 56.74	(-) 53.19
6.	पूर्व अवधि का समायोजन	1.32	0.58	1.13
7.	कर पूर्व लाभ/हानि	(-) 147.70	(-) 56.16	52.06
8.	कर हेतु प्रावधान	शून्य	शून्य	3.92
9.	करोत्तर लाभ	(-) 147.70	(-) 56.16	55.98

3. अनुपात विश्लेषण

विगत तीन वर्षों के अंत में कंपनी की वित्तीय स्थिति एवं कार्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय अनुपात निम्नलिखित हैं :

(प्रतिशत में)

	2002-03	2003-2004	2004-05
क) **नकद अनुपात**			
चालू अनुपात	93	99.48	**110.49**
ख) **ऋण ईक्विटी अनुपात**			
ईक्विटी पर दीर्घकालिक ऋण	2051	453.30	**128.90**

4. निधियों के स्रोत और उपयोग

अवधि के दौरान आंतरिक और बाहरी स्रोतों से निम्नलिखित रूप में रु. 121.90 करोड़ रु. की निधि उगाही गई और निम्न प्रकार से उसका उपयोग किया :

निधि के स्रोत		(करोड़ रुपए में)
क. शेयर पूँजी में वृद्धि		**40.00**
ख. वर्ष में लाभ	55.98	**0.56**
जोड़े : बट्टे खाते डाला गया खान विकास व्यय	5.23	
जोड़े : बट्टे खाते डाला गया विविध व्यय	3.37	
	64.58	
घटाएँ : मूल्यह्रास (शुद्ध)	5.59	**58.99**
कुल खंड एवं पूँजीगत चालू कार्य में ह्रास		**22.91**
वर्ष के दौरान आगत कुल निधि		**121.90**
निधियों का प्रयोग		
क. उधार राशि में कमी		**87.28**
ख. कार्यकारी पूँजी में वृद्धि		**30.70**
ग. आस्थगित कर आस्तियों में वृद्धि	4.98	
घटाएँ : 01.04.04 को राजस्व प्रारक्षित निधि के साथ समायोजन	1.06	**3.92**
वर्ष के दौरान निर्गत कुल राशि		**121.90**

भारत के लेखा नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा 31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के लेखों की समीक्षा

5. कंपनी तथा इसकी प्रमुख प्रचालनरत इकाइयों के गत तीन लेखा अवधियों के कार्य-परिणाम नीचे दर्शाए गए हैं :

(करोड़ रु.)

इकाई	वर्ष के लिए लाभ (+)/ हानि (-)	पूर्व वर्षों के अनपेक्षित हो गए प्रावधानों की वापसी	पूर्व अवधि का समायोजन एवं असामान्य मदें	विकास छूट आरक्षित निधि का पुनरांकन/ आयकर हेतु प्रावधान	लेखों के अनुसार लाभ (+)/ हानि (-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
समेकित स्थिति					
2002-03	(-) 146.96	(-) 0.58	(+) 1.32	–	(-) 147.70
2003-04	(-) 56.05	(-) 0.47	(+) 0.58	–	(-) 56.16
2004-05	**(+) 52.17**	**(-) 1.02**	**(+) 1.13**	**–**	**(+) 52.06**
प्रमुख प्रचालनरत इकाइयाँ					
इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स					
2002-03	(-) 74.14	(-) 0.04	(+) 0.59	–	(-) 71.69
2003-04	(-) 56.39	(-) 0.04	(+) 0.22	–	(-) 56.57
2004-05	**(-) 37.59**	**(-) 0.07**	**(+) 1.05**	**–**	**(-) 38.57**
खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स					
2002-03	(-) 86.58	(-) 0.38	(+) 0.08	–	(-) 86.28
2003-04	(-) 32.71	(+) 0.17	(+) 0.05	–	(-) 32.59
2004-05	**(-) 22.10**	**(+) 0.37**	**(+) 2.66**	**–**	**(-) 19.07**
मलंजखंड ताम्र परियोजना					
2002-03	(+) 17.64	(-) 0.01	(+) 0.07	–	(+) 17.58
2003-04	(+) 42.30	(-) 0.02	(+) 0.23	–	(-) 42.09
2004-05	**(+) 112.31**	**(-) 0.02**	**(+) 0.05**	**–**	**(+) 112.46**
तलोजा ताम्र परियोजना					
2002-03	(-) 4.10	–	(+) 0.06	–	(-) 4.16
2003-04	(-) 1.60	–	(+) 0.03	–	(-) 1.63
2004-05	**(+) 1.67**	–	**(+) 0.90**	**–**	**(+) 0.77**
राखा ताम्र परियोजना					
2002-03	(-) 1.27	(-) 0.02	(+) 0.48	–	(-) 1.73
2003-04	(-) 0.90	(-) 0.03	–	–	(-) 0.87
2004-05	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

6. मालसूची स्तर

गत तीन लेखा अवधियों के अंत का मालसूची स्तर नीचे दिया गया है :

(करोड़ रु.)

		2002-03	2003-04	2004-05
1)	कच्चा माल	8.41	0.63	**0.08**
2)	भंडार वस्तुएँ, अतिरिक्त पुर्जे और फुटकर औजार	42.37	35.25	**31.84**
3)	चालू कार्य	101.61	90.91	**147.69**
4)	तैयार माल	29.83	43.17	**46.03**

7. विविध देनदार

गत तीन लेखा अवधियों के दौरान विविध देनदारों तथा बिक्री का विवरण नीचे दर्शाया गया है :

(करोड़ रु.)

तारीख	विविध देनदार		कुल	वर्ष के दौरान बिक्री	बिक्री में कुल देनदार का प्रतिशत
	शोध्य समझा गया	संदिग्ध समझा गया			
30-09-2003	6.18	4.14	10.32	506.11	2%
31-03-2004	18.08	4.02	22.10	503.28	4.39%
31-03-2005	**11.55**	**3.98**	**15.53**	**562.70**	**2.76%**

दिनांक : कोलकाता
1 सितम्बर, 2005

अरिजीत गाँगुली
वाणिज्यिक लेखा-परीक्षा के प्रधान निदेशक
एवं लेखा-परीक्षा परिषद – I
कोलकाता के पदेन सदस्य

दस वर्षों पर एक दृष्टि

(लाख रु.)

वर्ष के लिए	**2004-05**	2003-04	2002-03	2001-02	1999-01 (18 महीने)	1998-99	1997-98 (18 महीने)	1996-97	1995-96	1994-95
कारोबार	55,911	51,887	50,568	60,498	94,558	47,949	120,348	98,024	111,802	93,295
कुल लाभ/(हानि)	11,173	287	(8,999)	(12,592)	(10,625)	(11,276)	(1,725)	(7,677)	13,099	12,450
मूल्यह्रास एवं ऋण परिशोधन	5,575	5,905	5,771	5,812	9,019	5,925	8,848	5,384	5,515	5,224
शुद्ध लाभ/(हानि)	5,598	(5,616)	(14,770)	(18,404)	(19,644)	(17,201)	(10,573)	(13,062)	7,584	7,226
वर्द्धित मूल्य	35,042	22,901	14,737	15,309	33,591	16,724	28,946	21,973	41,359	42,216
उत्पादन का मूल्य	63,124	53,443	50,153	58,666	100,166	51,347	118,022	100,529	118,627	90,504
वर्ष के अंत में										
शेयर पूँजी	94,895	90,895	79,511	71,011	54,361	53,661	52,511	33,820	33,820	33,020
आंतरिक संसाधन	(29,884))	(35,030)	(31,039)	(16,945)	(49)	19,097	33,896	42,018	53,305	43,880
दीर्घ-कालिक ऋण	22,275	27,562	29,182	29,182	64,332	37,236	11,527	17,456	17,456	16,656
बैंकों से नकद उधार	11,823	7,611	13,949	12,204	12,270	8,416	11,960	12,322	10,709	320
पूँजीगत व्यय - कुल	96,771	99,510	100,559	102,477	106,076	106,621	105,082	101,630	97,772	90,479
कार्यकारी पूँजी	3,394	(102)	(2,595)	751	1,798	649	8,635	14,440	24,529	11,344
नियोजित पूँजी	23,455	21,528	20,389	24,929	28,306	29,871	40,368	45,978	57,081	38,829
जनशक्ति (सं)	5,665	5,995	7,865	9,502	12,043	15,271	18,234	19,884	20,108	20,513

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के सदस्यों के प्रति **लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन**

1. हमने मेसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के 31 मार्च, 2005 के संलग्न तुलन पत्र तथा उसी दिनांक को समाप्त लाभ-हानि लेखों का परीक्षण किया है । ये वित्तीय विवरण कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है । हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय जाहिर करना है ।

2. भारत में लागू सामान्यत: स्वीकृत लेखा परीक्षा करने के मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की गयी है जिसके लिए ऐसी लेखा परीक्षा की योजना तथा कार्य-निष्पादन के साथ-साथ राशि समर्थक साक्ष्यों, व्यवहृत लेखा सिद्धान्तों के निर्धारण सहित वित्तीय विवरणों के प्रकटीकरणों तथा प्रबंधन द्वारा पर्याप्त अनुमानों के साथ-साथ सकल वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण के मूल्याकंन की जाँच आधार परीक्षा अपेक्षित है, ताकि सामग्री के कोई गलत विवरण से वित्तीय विवरण मुक्त है, का उचित आश्वासन प्राप्त हो जाए । हमें भरोसा है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय को उचित आधार प्रदान करती है ।

3. हम कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 (4क) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन) आदेश 2003 के अपेक्षानुसार तथा हमारी दृष्टि से उचित समझी गयी जाँचों के आधार पर उसके अनुच्छेद 4 में उल्लिखित विषयों पर विवरण अनुलग्नक में प्रस्तुत कर रहे हैं ।

4. उपरोक्त अनुच्छेद 3 में उल्लिखित अनुलग्नक में दी गयी हमारी टिप्पणियों के अतिरिक्त एवं निम्नलिखित अनुच्छेद 5 में कथित के अधीन हम प्रतिवेदन करते हैं कि :

   क. हमें वे सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त हो गए हैं जो हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे ।

   ख. हमारी राय में, जहाँ तक बही खातों के परीक्षण से प्रतीत होता है, कंपनी ने विधि अपेक्षित लेखा संबंधी ठीक बही रखी हैं।

   ग. तुलन पत्र तथा लाभ-हानि लेखा लेखा बहियों से मेल खाता है ।

   घ. हमारी राय में लाभ-हानि लेखा तथा तुलन पत्र निम्नलिखित के अधीन कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप धारा (ग) में प्रस्तुत लेखा प्राचलों के अनुरूप है ।

      i. समय बहाव के कारण स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास संबंधी लेखा नीति सं. 4.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा प्राचल 6 (ले.प्र.-6) मूल्यह्रास अभिकलन का वरीयता से अनुकरण करती है । इसके अलवा प्रदूषण नियंत्रण परियोजना (देखें : सारणी 24 की टिप्पणी सं 7) पर प्रभारित मूल्यह्रास भी परियोजना की अवधि निर्धारित न होने के कारण उपरोक्त लेखा प्राचल के अनुरूप नहीं है । इसलिए ऐसी आस्तियों पर मूल्याह्रास की प्रमात्रा का पता नहीं है तथापि 31 मार्च, 2005 तक रु. 44,364 हजार का प्रावधान किया गया है । लेखा परीक्षकों ने वर्ष 2001-02 से 2003-04 के लेखें पर अपनी रिपोर्ट में उक्त तथ्यों को सूचित किया है ।

      ii. पूँजीकृत अतिरिक्त पुर्जों/बीमाकृत अतिरिक्त पुर्जों की प्रकृति के मशीनी अतिरिक्त पुर्जों की शिनाख्त कर ली गई है और सम्बद्ध स्थायी आस्तियों की व्यतीत हो चुकी आयु के आधार पर मूल्यह्रास किया गया है । तथापि भा.स.ले.सं. द्वारा लेखा प्राचल - 2 के अनुसार स्थायी आस्तियों के भाग के रूप में इन अतिरिक्त पुर्जों को समूहबद्ध करने के बजाय इन्हें मालसूची समझा गया है तथा तदनुसार लेखों में दर्शाया गया है और उक्त अतिरिक्त पुर्जों की निकासी को उपभुक्त भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जों में प्रभारित किया जाता है । कंपनी के लाभ पर इसके पड़ने वाले प्रभाव को अभी निश्चित नहीं किया गया है ।

   ङ. कंपनी कार्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 829(इ) दिनांक 21.10.2003 के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274(1)(छ) सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है, इसलिए निदेशकों की नियुक्ति की कमी के संबंध में हमें कुछ नहीं कहना है ।

5. उपर्युक्त अनुच्छेद 3 एवं 4 में हमारी टिप्पणियों/अर्हताओं के अतिरिक्त हम प्रतिवेदित करते हैं कि :

   i. वित्तीय विवरण लेखा नीतियों के अनुच्छेद 3 में उल्लिखित आंतरिक अनुमानों के आधार पर दिए गए हैं । चूँकि यह तकनीकी विषय है, अत: हमें उन पर निर्भर करना पड़ा है ।

ii. कानूनी राय में तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाए गए स्थगन के आधार पर वर्ष के लिए कंपनी ने खानों और संयंत्रों में लागू विद्युत दरों के अंतर के रु. 40,854 हजार (वर्ष तक रु. 567,501 हजार) प्रभारित नहीं किए हैं । चूँकि यह विषय माननीय उच्चतम न्यायालय के पास अनिर्णीत पड़ा हुआ है और नए सिरे से निपटान के लिए जबलपुर उच्च न्यायालय के यहाँ मामले को भेजा गया है इसलिए हम प्रबंधन द्वारा लिए गए आधार की सत्यता के बारे में अपनी राय बनाने में असमर्थ हैं । (देखें : लेखा पर टिप्पणियाँ की सारणी सं. 24 की टिप्पणी सं. 9) ।

iii. कुछ बंद खानों की टाउनशिप आस्तियों का राज्य सरकार को हस्तानान्तरण करने के हुए पैकेज लेन-देन पर बकाया ईंधन अधिभार एवं जलकर की ब्याज देयता के रु. 276,093 हजार की निश्चत हुई राशि का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। (देखें : लेखा पर टिप्पणियाँ की सारणी सं 24 की टिप्पणी सं 10)

iv. राज्य सरकार के कारण वर्ष 2004-05 के लिए जलकर देयता का रु. 13,080 हजार का कम प्रावधान । (देखें : लेखा पर टिप्पणियाँ की सारणी सं 24 की टिप्पणी सं 11)

v. आपूर्ति ठेके के रु. 20,661 हजार की देयता का कम प्रावधान । (देखें : लेखा पर टिप्पणियाँ की सारणी सं 24 की टिप्पणी सं 17)

vi. चालू देयताओं, अग्रिमों, जमाओं, विभिन्न देनदारों, वसूली योग्य दावों, मार्गस्थ सामग्री और तीसरी पार्टी के पास पड़े स्टाक के अंतर्गत जमा राशि पुष्टि प्राप्ति लंबित होने से बही शेष के अनुसार ही है । (देखें : लेखा पर टिप्पणियाँ की सारणी सं 24 की टिप्पणी सं 5)

vii. बेकार स्थायी आस्तियों के प्रावधान की पर्याप्तता या अन्यथा अभिनिश्चित नहीं की जा सकी है क्योंकि इन आस्तियों का शुद्ध वसूली योग्य मूल्य अभी अभिनिश्चित किया जाना बाकी है । (देखें : लेखा पर टिप्पणियाँ की सारणी सं. 24 की टिप्पणी सं 12)

viii. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आईसीसी, घाटशिला की भंडार-वस्तुओं और अतिरिक्त पुर्जों का प्रत्यक्ष सत्यापन प्रबंधन द्वारा नहीं किया गया है (कार्य बाहरी स्रोतों से कराया गया है लेकिन लेखा परीक्षा पूरी होने तक वास्तव में शुरू नहीं हुआ) । विसंगतियों जैसे कमी, अधिकता, विन कार्ड और पीएसएल शेष का अंतर और मालसूची की कई मदों के लिए ऋणात्मक शेषों का अन्तिम समायोजन लंबित रहने के कारण भंडार वस्तुओं और अतिरिक्त पुर्जों के ''उपभोग'' के साथ साथ ''बंद स्टॉक'' पर इसका प्रभाव अभिनिश्चित नहीं है ।

6. ऊपर दिए गए विभिन्न गुण दोषों का कंपनी के लाभ और आस्तियों तथा देयताओं पर प्रभाव विवरणों की कमी के कारण पूरी तरह अभिनिश्चत नहीं किया जा सका । तथापि संभव अनुमान के अनुसार वर्ष के लिए लाभ में कमी तथा देयताओं में वृद्धि की राशि समान रूप से रु. 350,688 हजार तक होती है ।

उपर्युक्त अनुच्छेद 4 (घ) (i) और 4 (घ) (II) तथा अनुच्छेद 5 (i) से 5 (ix) में कथित के अध्यधीन हमारी राय में और हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी तथा हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त लेखे तथा उनके साथ पढ़ी जाने वाली टिप्पणियाँ :

i. 31 मार्च 2005 को कंपनी के कारोबार की स्थिति के तुलन पत्र के बारे में तथा

ii. इस दिनांक को समाप्त वर्ष की कंपनी के लाभ के लाभ एवं हानि लेखा के बारे में सही और स्पष्ट जानकारी देते हैं ।

कृते दिनेश मेहता एंड कं.
सनदी लेखाकार

कृते एम. सी. भंडारी एंड कं.
सनदी लेखाकार

दिनांक : 20 जुलाई, 2005
स्थान : कोलकाता

अनूप मेहता
साझेदार

एम. आर. जैन
साझेदार

लेखा परीक्षकों के **प्रतिवेदन का अनुलग्नक**

(हमारे समतिथि के प्रतिवेदन के अनुच्छेद-3 को देखें)

1. क. कंपनी के पास स्थायी आस्तियों के परिमाणात्मक विवरण एवं अवस्थिति को दर्शाने वाले पर्याप्त अभिलेख है ।

   ख. चालू वर्ष के दौरान प्रबंधन ने लेखा नीति सं. 4.3 के अनुसार जिसे विभिन्न खानों और उत्पादन सुविधाओं के बंद होने के फलस्वरूप संशोधित किया जाना है, अपनी स्थायी आस्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया है । ऐसी आस्तियों की प्रत्यक्ष उपलब्धता तथा बही अभिलेखों के बीच सामग्री विसंगतियाँ, यदि कोई हो, प्रत्यक्ष सत्यापन के अभाव में निश्चित नहीं की जा सकती हैं ।

   ग. हालाँकि कुछ खानों सहित राखा तथा मुसाबनी सांद्रकों में खनन गतिविधियों का परित्याग कर दिया है, लेकिन वर्ष के दौरान कंपनी ने संयंत्रों और मशीनों के अधिकांश भाग का निपटान नहीं किया है । परन्तु हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारी राय में इससे कंपनी की चलने योग्य संस्था की स्थिति प्रभावित नहीं हुई है ।

2. क. अवधि के दौरान प्रबंधक वर्ग द्वारा आईसीसी और राखा के भंडारों एवं अतिरिक्त पुर्जों को छोड़कर (जिनके प्रत्यक्ष सत्यापन का कार्य बाहरी स्रोतों से किया गया है लेकिन लेखा परीक्षा तिथि तक वास्तविक कार्य शुरू नहीं हुआ) मालसूची का प्रत्यक्ष सत्यापन वास्तविक/सर्वेक्षण माप के आधार पर तथा कुछ मामलों में अनुमान के आधार पर उचित अंतराल पर किया गया है । तथापि प्रबंधन द्वारा कार्यान्वित ऐसी सत्यापन प्रणाली को मजबूत करना और इसकी बारम्बारता एवं कार्यक्षत्र को विस्तृत करना जरूरी है ।

   ख. हमारी राय में तथा हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार भंडारों के प्रत्यक्ष सत्यापन के लिए प्रबंधक वर्ग द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया कंपनी के आकार एवं कारोबार की प्रकृति के संबंध में यथोचित एवं पर्याप्त है ।

   ग. कंपनी मालसूची का उचित अभिलेख रख रही है । बही अभिलेखों से तुलना पर स्टाक के प्रत्यक्ष सत्यापन में अवलोकित विसंगतियों का लेखा बही में उचित मेल-जोल कर लिया गया है । आईसीसी और आरसीपी के मामले में विगत वर्षों में पाई गई विसंगतियों को समायोजित कर लिया गया है तथा स्टाक में दिखाया जाना जारी है यद्यपि उनके लिए लेखों में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं ।

3. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में सूची-बद्ध कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को न तो कोई ऋण मंजूर किया है और न ही कोई ऋण लिया है । उपर्युक्त के मद्देनजर प्रथम दृष्टि में कंपनी के हित में हानिकर होने वाली ब्याज दर सहित नियमों और शर्तों का प्रश्न नहीं उठता है ।

4. हमारी राय में तथा प्रबंधन द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार मालसूजी खरीद, उच्च लागत अनुबंधों सहित स्थायी आस्तियों, परिवहन अनुबंधों और माल की बिक्री के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया को और भी सुधारने की आवश्यकता है ।

5. क. हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में दर्ज करने योग्य कोई लेनदेन नहीं है ।

   ख. हमारी राय में और हमें उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे जानेवाले रजिस्टरों में प्रविष्ट अनुबंधों या व्यवस्थाओं के अनुसरण में किसी पार्टी के साथ कंपनी ने रु. 5 लाख मूल्य से अधिक के अनुबंध या व्यवस्थाएं नहीं की है ।

6. हमारी राय में तथा हमें उपलब्ध सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क के प्रावधानों के तहत बनाये गये कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 1975 के नियम 3(2) (ii) तथा भारतीय रिवर्ज बैंक के द्वारा जारी निर्देशों के तहत उल्लिखित निर्धारित सीमा तक जमा कर रखी थी । हालांकि कंपनी पुनर्भुगतान करने में चूक गयी है ।

7. कंपनी में बाहरी एजेंसियों द्वारा आंतरिक लेखा-परीक्षा की प्रणाली है, जिसे ज्यादा अर्थवान बनाने के लिए और व्यापक बनाया जाए।

8. कंपनी ने अधिनियम 1956 की धारा 209 की उप धारा (I) (के) के खंड (घ) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मालों के लिए कंपनी द्वारा रखे गए लागत अभिलेखों की हमने विस्तृत समीक्षा की है और हमारी राय में प्रथम दृष्ट्या निर्धारित अभिलेख और लेखे रखे गए हैं । हालाँकि हमने ऐसे लेखों और अभिलेखों की विस्तृत परीक्षा नहीं की है ।

9. क. कंपनी ने उपयुक्त अधिकारियों के पास भविष्य निधि बकाया तथा उस पर ब्याज को नियमित रूप से जमा नहीं कराया था । अविवादित भविष्य निधि की राशि रु. 4,415 हजार और भविष्य निधि पर ब्याज की रु. 69,901 हजार की राशि अपनी देय तिथि से 6 मास से अधिक अवधि तक बकाया थी । (नीचे दिए विवरणानुसार)

विवरण	अवधि	राशि (हजारों में)
भविष्य निधि	2004-2005	4,415
भविष्य निधि का ब्याज	अगस्त, 1998 से जनवरी, 2005	69,901

हमें उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार आयकर, सम्पति कर, बिक्री कर, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, विषयांतर किराया, प्रवेश कर, सेवा कर, रायल्टी, वन भूमि, विद्युत शुल्क और जलकर की देय अविवादित सकल रु. 96,954 हजार की राशि 31 मार्च, 2005 को अपनी देय तिथि से 6 मास की अवधि से अधिक बकाया थी । (संलग्न अनुलग्नक में दिए अनुसार)

ख. हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार बिक्री कर, उत्पादन शुल्क, विद्युत शुल्क, रायल्टी, प्रवेश शुल्क, सम्पत्ति कर की बकाया रु. 869870 हजार की शुद्ध प्रतिभूत की गयी धनराशि का विविध मंचों पर लंबित विवादों के कारण भुगतान नहीं किया गया है । (संलग्न अनुलग्नक में दिए अनुसार)

10. हमारी राय में कंपनी की संचित हानियाँ इसके शुद्ध मूल्य से पचास प्रतिशत से अधिक हैं । हमारी लेखा परीक्षा में शामिल वित्त वर्ष के दौरान और निकटतम पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कंपनी को कोई नकद धाटा नहीं हुआ ।

11. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी बैंकों के बकायों की चुकौती में दोषी नहीं हुई है लेकिन डिबेन्चरों के पुनर्भुगतान में चूक हुई थी, जिसे हालांकि वर्षान्त में नियमित कर दिया गया है । असुरक्षित पब्लिक बांड और डिबेंचरों के ब्याज के भुगतान के संबंध में बर्षान्त में चूक हुई राशि क्रमश: रु. 155,500 हजार और रु. 53,387 हजार है ।

12. हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने शेयरों, डिबेचरों और अन्य प्रतिभूतियें को गिरवी रखकर सुरक्षित आधार पर ऋण और अग्रिम मंजूर नहीं किया है ।

13. हमारी राय में कंपनी चिट फंड या "निधि" पारस्परिक लाभ निधि/सोसाइटी नहीं है । अत: कंपनी (लेखा-परीक्षकों का प्रतिवेदन) आदेश, 2003 के खंड 4(xiii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं ।

14. हमारी राय में कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों और अन्य निवेशों में कोई लेन देन या व्यापार नहीं कर रही है ।

15. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने अन्यों द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों पर कोई गारंटी नहीं दी है ।

16. हमें दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष के अंत में बकाया सावधि ऋणों को उठाकर हमारी लेखा-परीक्षा के पूर्व ही उनका उपयोग कर लिया गया है । इसलिए हम वह टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि उनका उपयोग उसी उद्देश्य में किया गया है जिसके लिए वे उठाए गए हैं ।

17. हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के तुलन पत्र की समग्र परीक्षा पर हम प्रतिवेदित करते हैं कि अल्पावधि आधार पर उठायी गयी किसी राशि का प्रयोग दीर्घावधि किस्तों के लिए या इसके विपरीत नहीं किया गया है ।

18. हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टरों में शामिल पार्टियों और कंपनियों को कंपनी ने शेयरों का अधिमान्य आबंटन नहीं किया है ।

19. हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी लेखा परीक्षा में शामिल अवधि के दौरान कंपनी ने कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है लेकिन मुम्बई के फ्लैट, केसीसी, एमसीपी और टीसीपी की वर्तमान और संभावित चल एवं अचल आस्तियों पर प्रथम प्रभार और भारत सरकार (भा.स.) की प्रति गारंटी पर जारी डिबेंचरों के संबंध में बंधक के रूप में बनायी गई प्रतिभूति के शेष रु. 625,000 हजार के अपरिवर्तनीय डिबेंचरों को कंपनी ने प्रतिदेय नहीं किया है ।

20. हमें दी गई जानकारी के अनुसार कंपनी ने सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से कोई धन नहीं उठाया है जिसका प्रयोग होने पर वित्तीय विवरण की टिप्पणियों में उसकी चर्चा करना और उसे हमारे द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक हो जाता है ।

21. हमारी लेखा परीक्षा अवधि के दौरान और हमारी परीक्षण जाँच के आधार पर हमारे सामने लेखा परीक्षा वर्ष के दौरान कंपनी से या द्वारा सूचित या प्रतिवेदित जालसाजी का कोई मामला नहीं आया है ।

कृते दिनेश महता एंड कं.
सनदी लेखाकार

कृते एम. चटर्जी एंड कं.
सनदी लेखाकार

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 20 जुलाई, 2005

अनूप मेहता
साझेदार

एम. आर. जैन
साझेदार

छ: मास से अधिक अविवादित देयताएँ

(हजार रु. में)

	विवरण	राशि
	विषयांतर किराया	398
	बिक्री कर	5,061
	सीमा शुल्क	15,950
	प्रवेश कर	16,189
	सेवा कर	131
	आयकर-टीडीएस	145
	रायल्टी	2,577
	वन भूमि	2,124
	विद्युत शुल्क	18,225
	उत्पादन शुल्क	616
	जल कर	27,256
	सम्पत्ति कर	8,282
	कुल	96,954

विवादित सांविधिक देयतओं का विवरण

क्रम सं.	विवरण	वर्ष	मंच जहाँ मामला लंबित है	राशि
1.	उत्पादन शुल्क	1984-85, 1985-86, 1991-92 1992-93, 1993-94, 1994-95 1995-96, 1996-97, 1997-98 1998-99, 1999-2000, 2000-01 2001-2002, 2002-03, 2003-04 2004-05	सीईएसटीएटी	477,171
		1994-95, 1995-96, 1998-99 1999-2000, 2001-02, 2002-03 2003-04	उत्पादन शुल्क आयुक्त (अपील)	63,610
2.	बिक्री कर	1991-92, 1994-95, 1995-96 1996-97, 1997-98, 1998-99 1999-2000, 2000-01, 2001-02	आयुक्त (अपील)	17,612
		1991-92, 1992-93, 1993-94	न्यायाधिकरण	6,053
3.	विद्युत शुल्क	1990-91 से 2004-05 तक	उच्च न्यायालय	286,400
4.	रायल्टी	1996-97, 1997-98, 1998-99 1999-00, 2000-01, 2001-02 2002-03, 2003-04	उच्च न्यायालय	8,139
5.	प्रवेश कर	1994-95	आयुक्त (अपील)	540
6.	सम्पत्ति कर	1994-95 से 1997-98 तक	उच्च न्यायालय	10,345
	कुल			**869,870**

लेखा नीतियाँ

1. वित्तीय लेखे अन्यथा कथित न होने तक भारत में निर्धारित लेखा प्रथाओं, कार्य प्रणालियों और मानकों के अनुसार वस्तुपरक रूप में तैयार किये जाते हैं ।

2. कंपनी की सभी इकाइयों के लेखे अलग-अलग तैयार किये जाते हैं तथा उन्हें निगमित स्तर पर समेकित किया जाता है ।

3. निम्नलिखित के संबंध में वित्तीय विवरण कंपनी की आंतरिक तकनीकों/अनुमानों के आधार पर तैयार किए गए हैं :

— राजस्व एवं पूँजी के मध्य सर्विस शैफ्ट के खर्चों एवं भूमिगत खनन व्यय का विनिधान

— कच्चे माल, निर्माणाधीन एवं तैयार माल में धातु तत्व

— रिफाइनरी संयंत्र में उत्पन्न एनोड स्क्रैप का आकलन

— भूमिगत खानों में खनन योग्य अयस्क भंडार

— खुली खानों में स्ट्रिपिंग अनुपात

तुलन पत्र :

4. स्थायी आस्तियाँ

4.1 स्थायी आस्तियों को लागत पर अभिलेखित किया जाता है । स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम 1956 की सारणी 15 में निर्धारित दरों के आधार पर सरल रेखा पद्धति से किया गया है । 1.04.93 से पहले अर्जित आस्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 1956 की सारणी 15 में निर्धारित दरों पर प्रकट हुई शेष अवधि पर अक्रृणपरिशोधित मूल्य का विनिधान करते हुए व्युत्पन्न दर पर प्रभारित किया जाता है ।

4.2 नयी परियोजना होने पर संयंत्र, यंत्र तथा भवन/आवास के संबंध में मूल्यह्रास वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से आँका जाता है ।

4.3 स्थायी आस्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन हर पाँचवें वर्ष किया जाता है ।

4.4 सरकार से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त निधियों से अर्जित स्थायी आस्तियों को लेखा बही में लागत पर दर्ज किया जाता है तथा विशिष्ट प्रारक्षित निधि में रखा जाता है, जिसे लाभ-हानि लेखा में स्थानान्तरित कर आस्तियों की उपयोगिता अवधि के अनुसार विभाजित कर दिया जाता है ।

4.5 पूँजीगत मालों के लिए अंतिम बिलों के लंबित पुर्नमेल/प्राप्ति, पूँजीकरण दर्ज लागत के आधार पर की जाती है तथा मूल्यह्रास तद्नुरूप प्रभारित किया जाता है । मूल्य अंतर, यदि कोई हो, बिलों के निपटान वर्ष में समायोजित कर दिए जाते हैं ।

4.6 जब किसी नए स्थान पर नई इकाई स्थापित की जाती है, तब उसके निर्माण संबंधी सभी प्रत्यक्ष पूँजीगत व्ययों एवं अप्रत्यक्ष आकस्मिक व्ययों का पूँजीकरण स्थायी आस्तियों की विभिन्न मदों में समुचित आधार पर विनिधान कर किया जाता है । परन्तु जब कोई चालू इकाई अपना विस्तार कार्य समान्य उत्पादन कार्य के साथ करती है, तब इस तरह के विस्तार से संबंधित सभी प्रत्यक्ष व्ययों का पूँजीकरण किया जाता है लेकिन अप्रत्यक्ष व्यय को राजस्व में प्रभारित किया जाता है ।

4.7 नयी एवं विस्तार परियोजनाओं के लिए विशेष ढंग से लिए गये क्रृणों पर वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ होने की अवधि तक के ब्याज/वित्त लागत को संबंधित परियोजना की पूँजीगत लागत में प्रभारित किया जाता है ।

4.8 नयी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किये गये व्यय को संबंधित योजना के प्रति उसके कार्यान्वित होने तक अग्रानीत कर दिया जाता है । किसी परियोजना के परियोजना व्यय, जो निष्फल हो गए हैं अथवा उसके परित्यक्तता व्यय को लाभ-हानि लेखे में प्रभारित कर दिया जाता है ।

5. खान विकास व्यय

5.1 भूगर्भ खान के मामले में नयी खान के विकास एवं विशेषत: चालू खान के परिवर्ती विकास पर व्यय का पूँजीकरण एवं परिशोधन वर्ष में निकाले गए अयस्क और खनन योग्य अयस्क भंडारों के समय-समय पर किए गए आकलन के आधार पर होता है । विकास कार्य के दौरान प्राप्त अयस्क का समायोजन उसके निकाले गए वसूली योग्य मूल्य पर व्यय में कर दिया जाता है ।

5.2 व्यय को विभिन्न खानों/स्तरों में विभाजित कर दिया जाता है और आंतरिक तकनीकी अनुमानों के आधार पर पूँजी या राजस्व खान विकास व्यय के रूप में समझा जाता है ।

5.3 खुली खान के मामले में अपशिष्ट एवं अधिभार हटाने के व्यय को पूँजीकृत कर, उस वर्ष के वार्षिक अयस्क उत्पादन तथा कंपनी द्वारा भारित औसत दर के आधार पर खान के स्ट्रिपिंग अनुपात के अनुरूप उसका क्रृण परिशोधन कर दिया जाता है।

5.4 नए अयस्क भंडारों के अन्वेषण पर हुआ व्यय खान विकास व्यय में जोड़ दिया जाता है । यदि अन्वेषण संबंधी क्रिया-कलाप निष्फल सिद्ध होते हैं तो खान विकास व्यय में सम्मिलित इस प्रकार के कार्यों पर किया गया व्यय, जिस वर्ष परियोजना परित्यक्त होती है, उस वर्ष बट्टे खाते डाल दिया जाता है ।

6. मुख्य ओवरहॉलिंग व्यय

प्रगालक/रिफाइनरी की मुख्य ओवरहॉलिंग पर हुए व्यय को होने वाले वर्ष के खाते में प्रभारित कर दिया जाता है ।

7. मालसूची

7.1 मालसूची का मूल्यांकन वर्ष के अन्त में प्रत्यक्षत: उपलब्ध सामग्री के आधार पर किया जाता है । प्रत्यक्ष सत्यापन में पायी गई अधिकता/कमी के कारण हुई विसंगतियों को तदनुसार समायोजित कर अभिलेखित कर दिया जाता है ।

7.2 कच्चे माल, भंडार वस्तुओं और अतिरिक्त पुर्जों का मूल्यांकन भारित औसत लागत के आधार पर किया जाता है । फुटकर औजारों तथा मार्गस्थ सामग्री का मूल्यांकन लागत के आधार पर होता है । फुटकर औजारों की निकासी होने पर उन्हें राजस्व में प्रभारित कर दिया जाता है ।

7.3 तैयार माल तथा निर्माणाधीन कार्य का मूल्यांकन वर्ष के अन्त में न्यूनतम शुद्ध वसूली योग्य मूल्य अथवा इकाई के भारित औसत लागत के आधार पर किया जाता है । लागत में वित्तीय लागत मदों जैसे ब्याज, बैंक प्रभार आदि शामिल नहीं है । निर्माणाधीन चालू कार्य के अंतर्गत स्लैग का मूल्य, जिस प्रक्रिया के अंतर्गत ये उत्पाद होते हैं, उसके प्रक्रिया के लिए जमा मूल्य सीमा के बराबर निर्धारित किया जाता है । निर्माणाधीन कार्य के अंतर्गत रिवर्टो का मूल्य निम्न लागत पर (सांद्र मूल्य के बराबर) और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर निर्धारित है । उर्वरक संबंधी सहायिकी पर उनके स्टाक मूल्यांकन के समय विचार नहीं किया जाता ।

7.4 भंडार में या गोदाम में पड़े तैयार माल की उत्पादन शुल्क की देयता लेखे में प्रयुक्त की गयी है और स्टॉक मूल्यांकन में उस पर विचार भी किया जाता है । अन्य स्टॉकों के शुद्ध मूल्य में, जहाँ सेनवैट लागू होता है, उत्पादन शुल्क शामिल रहता है ।

7.5 एनोड स्लाइम, रिच कॉपर और कॉपर डस्ट के भंडार जो विवेचन और परिशोधन की प्रक्रियाओं के दौरान उत्पन्न होते हैं तथा जिनका विक्रय अपेक्षित है, उनकी भौतिक उपलब्धि और विवेचन तथा परिशोधन प्रभारों का समुचित समायोजन करने के बाद देशी बाजार मूल्य के आधार पर वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित किए जाते हैं ।

7.6 वर्ष के अंत में अंतर इकाई अंतरण के फलस्वरूप मालसूची की मूल्यांकन लागत अथवा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, अंतरणकर्ता इकाई के लिए जो भी कम हो, के आधार पर किया जाता है । वर्ष के अंत में तैयार माल और उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर पड़ी अर्द्धनिर्मित सामग्री के मामले में ऐसे अंतरित उत्पादों की लागत और अंतरण मूल्य के अन्तर को समायोजित नहीं किया जाता है, क्योंकि तलोजा इकाई को छोड़कर यह व्यावहारिक रूप से निर्णय योग्य नहीं है ।

7.7 स्क्रैप स्टॉक का लेखा वसूली/पुनरावर्तन के आधार पर किया जाता है ।

7.8 आयातित सामग्री का मूल्यांकन अनन्तिम रूप से औसत लागत पर किया जाता है, जिसमें सीमा शुल्क और चालान की कीमत सुनिश्चित करना बाकी रहता है । घट-बढ़ का लेखा निपटान वर्ष में किया जाता है ।

7.9 हर तीसरे वर्ष अचल भंडार-वस्तुओं तथा अतिरिक्त पुर्जों का (बीमाकृत अतिरिक्त पुर्जों को छोड़कर) लेखों में प्रावधान कर दिया जाता है, जो पाँच वर्षों से एक जगह पड़े हुए हैं ।

लाभ एवं हानि लेखा

8. बिक्री

बिक्री में नकद छूटों के अलावा छूटें शामिल हैं ।

9. दावे

निर्धारित क्षतियों तथा बीमा संबंधी दावों का लेखा कंपनी द्वारा उनकी कटौती अथवा/या वसूली योग्य समझे जाने पर किया जाता है।

10. रूपान्तरण प्रभार

नियत कार्य के रूपान्तरण से आय का लेखा प्रेषण के आधार पर किया जाता है ।

11. साखपत्रों पर ब्याज

तुलन-पत्र के दिन तक बकाया बिलों पर ब्याज का लेखा प्रोद्भूत आधार पर किया जाता है ।

12. सेवानिवृत्ति के समय आनुतोषिक तथा छुट्टी नकदीकरण

सेवानिवृत्ति के समय आनुतोषिक एवं छुट्टी नकदीकरण की देयता उनके बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर प्रदत्त की जाती है।

13. बोनस/अनुग्रह राशि

संबंधित इकाइयों के लेखों में अनुमानित आधार पर बोनस/अनुग्रह राशि का प्रावधान किया जाता है ।

14. भविष्य निधि में कमी

भविष्य निधि न्यास के लेखे की कमी को, यदि कोई है, न्यास द्वारा बंद किए गए पिछले लेखों के आधार पर प्रोद्भूत देयता निर्धारित कर आकलित किया जाता है ।

15. आय पर करों का लेखा

आयकर व्यय में चालू कर एवं आस्थगित कर प्रभार शामिल है । आस्थगित कर की समय अंतरों पर पहचान की जाती है जो कि कर योग्य आय और लेखा आय का अंतर है जो एक अवधि में शुरु होता है और तदनंतर एक या उससे अधिक अवधियों में पलट जाने में समर्थ होता है । आस्थगित कर आस्तियों की पहचान पर्याप्त भावी कर योग्य आय की उपलब्धता, जिसके लिए आस्थगित कर आस्तियाँ वसूल की जाएंगी, की सम्भाव्य निश्चितता पर ही केवल की जाती है । आस्थगित कर आस्तियों के ऐसे शेषों की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को की जाती है ताकि प्राप्यता का पुर्ननिर्धारण किया जा सके ।

16. सामान्य

16.1 विदेशी मुद्रा कारोबार

विदेशी मुद्रा में किए गए लेनदेन की मान्यता लेनदेन के निपटान के समय की प्रचलित दर पर की जाती है । प्राप्तियों और देयों की वर्षांत शेषों को लागू अग्रवर्ती ठेका/वर्षांत दरों पर रूपान्तरित किया जाता है और स्थायी आस्तियों से संबंधित फलित रूपान्तरण अंतरों को स्थायी आस्तियों में समयोजित किया जाता है तथा बाकी को लाभ एवं हानि लेखा में व्यक्त किया जाता है ।

16.2 अनुसंधान एवं विकास व्यय

अनुसंधान एवं विकास पर होने वाले व्यय को जिस वर्ष व्यय होता है, उस वर्ष के लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है। इस संबंध में स्थायी आस्तियों पर हुए व्यय को पूँजीकृत कर दिया जाता है ।

16.3 स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति व्यय

16.3.1 निजी कोष से प्रदत्त

कंपनी द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृति के संबंध में अपने निजी कोष से किए गए व्यय को 60 मास की अवधि में राजस्व में डाल दिया जाता है ।

16.3.2 सरकारी अनुदान से प्रदत्त

स्वैच्छिक सेवानिवृति व्ययों को लाभ और हानि लेखे की तदनुरूपी जमाओं के साथ भारत सरकार से अनुदान की प्राप्ति पर लाभ-हानि लेखे में डाल दिया जाता है ।

तुलन पत्र

31 मार्च, 2005 को

(रु. '000)

	सारणी सं.		31.03.2005	31.03.2004
निधियों के स्रोत				
शेयरधारियों की निधियाँ :				
शेयर पूंजी	**1**	9,089,504		5,436,104
आबंटन के लिए शेष शेयर राशि		400,000		3,653,400
प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष	**2**	99,350		74,390
			9,588,854	9,163,894
ऋण निधियाँ :				
जमानती ऋण	**3**	3,409,785		4,149,754
गैर-जमानती ऋण	**4**	155,554		238,245
			3,565,339	4,387,999
कुल			13,154,193	13,551,893
निधियों का प्रयोग				
स्थायी आस्तियाँ :				
कुल खंड	**5**	6,734,641		6,947,507
घटाएँ : मूल्यह्रास	**5**	4,728,575		4,784,508
शुद्ध खंड	**5**	2,006,066		2,162,999
प्रावधान सहित छाँटी हुई आस्तियाँ	**5**	15,483		7,893
पूँजीगत व्यय के लिए अग्रिम सहित पूँजीगत चालू कार्य	**6**	166,714		183,006
खान विकास व्यय	**7**	2,760,264		2,812,598
			4,948,527	5,166,496
निवेश	**8**		17	21
चालू देयताएँ, ऋण एवं अग्रिम :				
मालसूची	**9**	2,256,384		1,699,589
विविध देनदार	**10**	115,493		180,765
नकद एवं बैंक जमा	**11**	75,533		170,294
अन्य चालू आस्तियाँ	**12**	10,594		13,192
ऋण एवं अग्रिम	**13**	555,540		487,786
		3,013,544		2,551,626
घटाएँ :				
चालू देयताएँ एवं प्रावधान	**14**	2,674,112		2,561,842
शुद्ध चालू आस्तियाँ			339,432	(10,216)
आस्थगित कर आस्तियाँ (शुद्ध)			49,789	–
विविध व्यय	**15**		–	33,711
लाभ-हानि लेखा			7,816,428	8,361,881
कुल			13,154,193	13,551,893
लेखा पर टिप्पणियाँ	**24**			

संलग्न लेखा नीतियाँ तथा 1 से 24 तक सारणियाँ लेखा के अंश है ।

समतिथि के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार

कृते दिनेश मेहता एंड कं. — *सनदी लेखाकार*

अनूप मेहता — *भागीदार*

कृत एम. सी. भंडारी एं कं — *सनदी लेखाकार*

एम. आर. जैन — *भागीदार*

दिनांक : 20 जुलाई, 2005

कृते निदेशक मंडल और उसकी ओर से

सी. एस. सिंघी — *कंपनी सचिव*

पी. स्वरूप — *निदेशक (प्रचालन)*

एम. समाजपति — *कार्यकारी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक*

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 20 जुलाई, 2005

लाभ-हानि लेखा

31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए

(रु. '000)

	सारणी सं.	2004-2005	2003-2004
आय			
कुल बिक्री		5,591,135	5,188,729
घटाएँ : उत्पादन शुल्क		763,625	667,984
शुद्ध बिक्री		4,827,510	4,520,745
आंतरिक निर्गम		4,483	5,211
अन्य आय	**16**	120,372	124,339
सहायता अनुदान		265,573	1,267,494
तैयार माल, आधे तैयार तथा प्रक्रियाधीन माल के स्टॉक में वृद्धि / (ह्रास)	**17**	596,447	25,995
		5,814,385	5,943,784
व्यय			
सामग्री, अतिरिक्त पुर्जे एवं घटक	**18**	860,844	913,314
कर्मचारियों के वेतन और लाभ	**19**	869,190	918,362
निर्माण, प्रशासन, विक्रय और वितरण संबंधी अन्य व्यय	**20**	2,146,470	2,059,204
उत्पादन शुल्क		(753)	28,827
गत वर्षों का शुद्ध नामे/(जमा)	**21**	11,271	5,839
ब्याज	**22**	429,916	596,242
प्रावधान, हानियाँ और बट्टे खाते	**23**	153,717	125,571
स्वै. सेवानिवृत्ति व्यय — सहायता अनुदान		265,573	1,267,494
मूल्यह्रास		173,654	177,034
खान विकास व्यय का ऋण परिशोधन		383,879	413,495
		5,293,761	6,505,382
कर पूर्व लाभ/(हानि)		520,624	(561,598)
कर प्रावधान – चालू		–	–
– आस्थगित		39,181	–
करोत्तर लाभ/(हानि)		559,805	(561,598)
विशेष प्रारक्षित निधि से अंतरण		345	349
पूँजीगत प्रारक्षित निधि में अंतरण		(14,697)	–
गत वर्ष के लेखे से अग्रानीत लाभ/(हानि)		(8,361,881)	(7,800,632)
तुलनपत्र में अग्रानीत लाभ/(हानि) का शेष		(7,816,428)	(8,361,881)
प्रत्येक रु. 10 के शेयर पर आय (सारणी 24 की टिप्पणी 19)			
– बेसिक (रु.)		1.25	(-) 1.55
– डिल्यूटेड (रु.)		0.75	(-) 0.89
लेखा पर टिप्पणियाँ	**24**		

समतिथि के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार

कृते दिनेश मेहता एंड कं. — *सनदी लेखाकार*

कृत एम. सी. भंडारी एं कं — *सनदी लेखाकार*

अनूप मेहता — *भागीदार*

एम. आर. जैन — *भागीदार*

दिनांक : 20 जुलाई, 2005

कृते निदेशक मंडल और उसकी ओर से

सी. एस. सिंघी — *कंपनी सचिव*

पी. स्वरूप — *निदेशक (प्रचालन)*

एम. समाजपति — *कार्यकारी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक*

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 20 जुलाई, 2005

लेखा की सारणियाँ

31 मार्च, 2005 को

(रु.'000)

			31.03.2005 को	31.3.2004 को
1.	**शेयरपूँजी**			
	अधिकृत			
	900000000	प्रत्येक रु. 10/- के ईक्विटी शेयर	9,000,000	7,000,000
	2000000	प्रत्येक रु. 1000/- के 7.5% वाले नॉन क्युमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर	2,000,000	2,000,000
	निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त			
	710473700	प्रत्येक रु. 10/- के नकदी भुगतान वाले ईक्विटी शेयर	7,104,737	3,451,337
	10244300	अनुबंध के अनुसार बिना नकदी भुगतान वाले प्रत्येक रु. 10/- के ईक्विटी शेयर	102,443	102,443
	7500000	बिना नकदी भुगतान वाले इंडियन कॉपर कारपोरेशन (उपक्रम का अधिग्रहण) अधिनियम,1972 के अनुसार प्रत्येक रु. 10/- के ईक्विटी शेयर	75,000	75,000
			7,282,180	3,628,780
	1807324	प्रत्येक रु. 1000/- के 7.5% वाले नॉन क्युमुलेटिव रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर	1,807,324	1,807,324
			9,089,504	5,436,104
	आबंटन के लिए शेष शेयर राशि (ईक्विटी) :			
	पिछले तुलनपत्र के अनुसार		3,653,400	2,515,000
	जोड़ें : वर्ष के दौरान प्राप्त		400,000	1,138,400
	घटाएँ : वर्ष के दौरान आबंटित		3,653,400	–
			400,000	3,653,400
2.	**प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष**			
	पूँजीगत प्रारक्षित निधि :			
	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	70,987		65,417
	वर्ष के दौरान योग	14,697		5,570
			85,684	70,987
	विशेष प्रारक्षित निधि :			
	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	3,403		3,752
	घटाएँ : लाभ-हानि लेखा में अंतरित	345		349
			3,058	3,403
	सामान्य प्रारक्षित निधि :			
	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	–		
	जोड़ें : आस्थगित कर	10,608		
			10,608	–
			99,350	74,390

लेखा की सारणियाँ

31 मार्च, 2005 को

(रु.'000)

			31.03.2005 को	31.3.2004 को
3.	जमानती ऋण			
	क. डिबेंचर			
	10,000 रु. 62,500/- प्रत्येक के 14% जमानती प्रतिदेय अपरिवर्तनीय डिबेंचर (विगत वर्ष रु. 87,500 प्रत्येक) (नोट-1)	625,000		875,000
	जोड़े : प्रोद्भूत एवं देय ब्याज	53,387		–
	मुंबई में फ्लैटों को बंधक रखकर तथा खेतड़ी कॉपर कॉम्पलेक्स, खेतड़ी, मलंजखंड ताम्र परियोजना, मलंजखंड तथा तलोजा ताम्र परियोजना, तलोजा में वर्तमान एवं भावी दोनों (बही ऋणों तथा अन्य चालू आस्तियों को छोड़कर) सम्पूर्ण आस्तियाँ सचल एवं अचल पर प्रथम अधिकार तथा भारत सरकार की प्रति गारंटी द्वारा प्राप्त		678,387	875,000
	ख. बैंकों से नकद उधार कंपनी के वर्तमान एवं भावी व्यापाराधीन स्टॉक, भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जों तथा बही ऋणों के दृष्टिबंधन द्वारा प्राप्त खेतड़ी, मलंजखंड और तलोजा परियोजनाओं की अचल आस्तियों पर द्वितीय अधिकार द्वारा फिर से प्राप्त		1,182,318	761,136
	ग. बैंकों से ऋण एवं अग्रिम - अल्पावधि		–	632,428
	घ. अन्य ऋण एवं अग्रिम			
	1. 10.65% जमानती प्रतिदेय अपरिवर्तनीय रु. 10,000,000/- प्रत्येक के बाँड (नोट 2) । मुंबई के एक फ्लैट को बंधक रखकर प्राप्त खेतड़ी, मलंजखंड और तलोजा की आस्तियों के लंबित निष्पादन पर बराबरी के अधिकार द्वारा भारत सरकार की प्रतिभूति पर फिर से प्राप्त		1,500,000	1,500,000
	2. रु. 40,000/- प्रत्येक के 14.75% वाले 7 वर्षीय प्रतिदेय बांड (विगत वर्ष रु. 70,000/- प्रत्येक) (नोट - 3)	49,080		85,890
	3. रु. 1,00,000/- प्रत्येक के 15% वाले 5 वर्षीय प्रतिदेय बांड (नोट - 4) बांडधारियों के न्यासियों के पास इंडियन कॉपर कॉम्पलेक्स, घाटशिला की विशिष्ट आस्तियों तथा प्रधान कार्यालय भवन, कोलकाता के टाइटिल डीड को जमा कर प्रथम अधिकार द्वारा प्राप्त	–	49,080	295,300 381,190
			3,409,785	4,149,754

अगले 12 महीनों में देय होने वाली राशि रु. 299.080 हजार (विगत वर्ष रु. 1,214,538/- हजार)

नोट 1 : 14% जमानती प्रतिदेय अपरिवर्तनीय डिबेंचर 15 दिसम्बर 2003 से शुरू होकर रु. 62,500 हजार की दर से 16 तिमाही किस्तों में 15 सितम्बर, 2007 तक प्रतिदेय है । इसमें से कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रत्येक रु. 62,500/- हजार की चार किस्तें प्रतिदेय कर दी थी और फलस्वरूप प्रत्येक डिबेंचर का अंकित मूल्य रु. 87,500 से घटकर रु. 62,500 हो गया है ।

नोट 2 : प्रत्येक रु.1,000,0000/- के 10.65% वाले कुल रु. 1,500,000 हजार के जमानती प्रतिदेय अपरिवर्तनीय बांड 1 अप्रैल, 2006 तथा 1 जुलाई 2006 को सममूल्य पर क्रमशः 7,50,000 हजार प्रत्येक के हिसाब से दो भाग में प्रतिदेय है ।

नोट 3 : प्रत्येक रु.1,000,000/- के 14.75% वाले 7 वर्षीय कुल रु. 122,700 हजार के प्रतिदेय बांड जो 31 मई, 2003 से सममूल्य पर 30%, 30% तथा 40% की तीन वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय है । 30% की द्वितीय किस्त जो 31 मई, 2004 को देय हो गई थी, को वर्ष के दौरान प्रतिदेय कर दिया गया है और फलस्वरूप बांड का अंकित मूल्य रु. 70,000/- से घटकर रु. 40,000/- प्रत्येक हो गया है ।

नोट 4 : प्रत्येक रु.1,00,000/- के 15% वाले 5 वर्षीय कुल रु. 295,500 हजार के प्रतिदेय बांड जो 30 जून, 2003 को सममूल्य पर प्रतिदेय थे । हालाँकि उसे देय तिथि में प्रतिदेय नहीं किया जा सका । वर्ष के दौरान कंपनी ने कुल बकाया राशि रु. 295,300 हजार (गत वर्ष रु. 200 हजार) को प्रतिदेय कर दिया हैं ।

लेखा की सारणियाँ

31 मार्च, 2005 को

(रु.'000)

		31.03.2005 को	31.3.2004 को
4.	**गैर जमानती ऋण**		
i.	सावधि जमा		
	दावेरहित सार्वजनिक जमा	41	41
	जोड़ें : प्रोद्भूत एवं देय ब्याज	13	13
		54	54
ii.	अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम		
	14% निजी रूप से बेचे गए बांड्स (नोट 1)	155,500	235,000
	जोड़ें : प्रोदभूत एवं देय ब्याज	—	3,191
		155,500	238,191
		155,554	238,245

अगले 12 मासों में देय राशि रु. 155,541 हजार (गत वर्ष रु. 235,041 हजार)

नोट 1 : रु. 633,300 हजार के 14% गैर जमानती निजी तौर पर बेचे गए बांड में से कंपनी रु. 477.800 हजार (वर्ष के दौरान रु. 79,500 हजार सहित) प्रतिदेय कर चुकी है और रु. 155,500 हजार के बांड शेष हैं यद्यपि वे भुगतान के लिए कालातिदेय है ।

लेखा की सारणियाँ

31 मार्च, 2005 को

(रु. '000)

5. स्थायी आस्तियाँ

विवरण	कुल खंड							मूल्यह्रास							शुद्ध खंड	
	01.04.04 को रु.	योग रु.	कटौती रु.	अप्रचलित रु.	अंतर्शीर्ष रु.	समायोजन रु.	31.03.05 को रु.	01.04.04 तक रु.	वर्ष के लिए रु.	कटौती रु.	अप्रचलित रु.	अंतर्शीर्ष रु.	समायोजन रु.	31.03.05 तक रु.	31.03.05 को	31.03.04 को
भूमि :																
पूर्ण स्वामित्व वाली	12,765	1,801	—	—	—	—	14,566	—	—	—	—	—	—	—	12,566	12,765
पट्टे पर	14,590	—	—	- 43	—	—	14,547	4,783	132	—	- 13	—	—	4,902	9,645	9,807
सड़कें, पुल एवं पुलियें	59,051	—	—	- 773	—	—	58,278	19,182	1,019	—	- 266	—	—	19,935	38,343	39,869
रेलवे साइडिंग	10,784	—	—	—	—	—	10,784	8,832	135	—	—	—	—	8,967	1,817	1,952
*** सफाई और जलापूर्ति व्यवस्था सहित इमारतें	1,179,579	30	—	- 4395	—	—	1,175,214	516,764	21,200	—	-2319	—	—	535,645	639,569	662,815
संयंत्र, कलपुर्जे एवं खनन उपकरण	4,804,551	60,407	45,126	- 221,470	-434	—	4,597,928	3,622,609	150,402	42,869	-205,969	-416	193	3,523,950	1,073,978	1,181,942
विद्युत उपकरण एवं संस्थापन	317,725	99	459	773	479	3	318,620	210,941	10,838	319	508	447	3	222,418	96,202	106,784
कूपक एवं झुकाव	365,755	—	—	—	—	—	365,755	254,346	9,998	—	—	—	—	264,344	101,411	111,409
वाहन	85,838	349	1,743	-1912	79	-162	82,449	77,513	2,472	1,655	-1,817	75	-348	76,240	6,209	8,325
फर्जीचर, साज-समान, कार्यालय, अस्पताल, सर्वेक्षण एवं ड्राइंग उपकरण	96,869	90	226	-103	-124	-6	96,500	69,538	3,048	209	-91	-106	-6	72,174	24,326	27,331
कुल	6,947,507	62,776	47,554	-227,923**	—	-165	6,734,641	4,784,508	199,244*	45,052	-209967**	—	-158	4,728,576	2,006,066	2,162,999
विगत वर्ष	6,926,023	69,184	11,229	-36,471	—	—	6,947,507	4,627,584	200,877	10,576	-33,659	—	282	4,784,508	2,162,999	2,298,439
छाँटी गयी आस्तियों का विवरण																
छाँटी गयी आस्तियाँ	411,166	228,696	773	—	—	-17,852	621,237	338,355	210,475	508	—	—	-17,134	531,188	90,049	72,811
घटाएँ : प्रावधान															74,566	64,918
प्रावधान सहित शुद्ध छाँटी गई आस्तियाँ															15,483	7,893

* देखें मुख्य लाभ एवं हानि लेखा और सारणी सं 7

** अप्रचलित आस्तियों और तदनुरुपी मूल्यह्रास के आँकड़ों में वर्ष के दौरान योग और कटौती शामिल है ।

*** पट्टे वाली भूमि में रु. 88,495 हजार (गत वर्ष रु. 88,495 हजार) शामिल है ।

स्थायी आस्तियों में रु. 235 हजार (गत वर्ष रु. 6,765 हजार) की भंडर के पड़ी मदें शामिल हैं और इन मदों पर रु.106 हजार का होनेवाला मूल्यह्रास पुरानी प्रथा के अनुसार प्रभारित नहीं किया गया हैं।

लेखा की सारणियाँ

31 मार्च, 2005 को

(रु.'000)

		31.03.2005 को	31.3.2004 को
6. पूँजीगत चालू कार्य			
संयंत्र और यंत्र	367,284		367,284
(मार्गस्थ रु. शून्य हजार सहित-गत वर्ष रु. शून्य हजार)			
अन्य	310,195		309,881
	677,479		677,165
घटाएँ : प्रावधान	510,765		494,159
		166,714	183,006
पूँजीगत व्यय के लिए अग्रिम			
गैर जमानती - शोध्य समझा गया	—		—
संदिग्ध समझा गया	2		2
	2		2
घटाएँ - प्रावधान	2		2
		—	—
		166,714	183,006
7. खान विकास व्यय			
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	3,260,611		3,382,865
जोड़ें : सारणी 7.01 के अनुसार वर्ष मे दौरान हुए व्यय	403,964		299,430
		3,664,575	3,682,295
घटाएँ :			
खान विकास के दौरान प्राप्त अयस्क का मूल्य	6,337		8,189
कृण परिशोघन	383,879		413,495
		390,216	421,684
		3,274,359	3,260,611
घटाएँ : प्रावधान		514,095	448,013
		2,760,264	2,812,598
7.01 खान विकास व्यय			
वेतन, मजदूरी एवं भत्ते		58,922	64,309
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान		6,377	6,489
कामगार एवं कर्मचारी कल्याण		3,293	3,542
ग्रेच्युटी		372	339
उपभुक्त भंडार वस्तुएँ, अतिरिक्त पुर्जे एवं घटक		168,829	139,868
विद्युत, ऊर्जा एवं जल		28,735	39,233
मरम्मत :			
इमारत		279	314
संयंत्र और यंत्र		4,609	4,017
अन्य		1,606	3,312
बीमा		382	399
उपरिभार निष्कासन व्यय		88,751	–
पूर्वेक्षण, सर्वेक्षण, ड्रिलिंग, सैम्पलिंग तथा विश्लेषण		7,215	6,702
मूल्यह्रास		25,590	23,843
विविध		9,004	7,063
		403,964	299,430

लेखा की सारणियाँ

31 मार्च, 2005 को

(रु.'000)

		31.03.2005 को	31.3.2004 को
8.	**निवेश** (लागत पर)		
	डिबेंचरों में गैर व्यापारी निवेश :		
	— अनिवेदित		
	— वूडलैंड्स हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेन्टर लि. को पूर्णत: प्रदत्त प्रत्येक रु. 1,000/- मूल्य के 5% वाले 17 डिबेंचर	17	17
	— बंगाल चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री को पूर्णत : प्रदत्त प्रत्येक रु. 1000/- मूल्य के 6.5% वाले 4 अप्रतिदेय पंजीकृत डिबेंचर (1962)	–	4
		17	21
	कुल बही मूल्य - अनिवेदित	17	21
9.	**माल सूची**		
	(प्रबंधक वर्ग द्वारा प्राप्त, मूल्यांकित एवं प्रमाणित)		
	कच्चा माल (लागत पर) (मार्गस्थ रु. शून्य हजार - गत वर्ष रु. 1,444 हजार)	841	6,312
	आधे तैयार या निर्माणाधीन माल (लागत से निम्न या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर)	1,521,227	953,420
	घटाएँ : प्रावधान	44,369	44,359
		1,476,858	909,061
	तैयार माल (लागत से निम्न या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर) (मार्गस्थ रु. 77,942 हजार - गत वर्ष रु. शून्य हजार)	480,787	452,146
	घटाएँ : प्रावधान	20,452	20,452
		460,335	431,694
	भंडार-वस्तुएँ एवं अतिरिक्त पुर्जे (लागत पर) (मार्गस्थ रु. 24,003 हजार-गत वर्ष रु. 21,006 हजार)	794,288	787,164
	घटाएँ : अव्यवहार्य/अप्रचलित एवं सत्यापन संबंधी विसंगतियों (शुद्ध) के लिए प्रावधान	462,486	433,867
	घटाएँ : अनियमित प्रयोग के भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जों के लिए प्रावधान	16,169	3,449
		315,633	349,848
	फुटकर औजार (लागत पर)	2,717	2,674
		2,256,384	1,699,589
10.	**विविध देनदार**		
	छ: मास से अधिक वाले	46,480	49,936
	अन्य ऋण	108,853	171,007
		155,333	220,943
	घटाएँ : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	39,840	40,178
		115,493	180,765
	ऋण का विवरण :		
	गैर-जमानती-शोध्य समझा गया	115,493	180,765
	संदिग्ध समझा गया	39,840	40,178
		155,333	220,943

लेखा की सारणियाँ

31 मार्च, 2005 को

(रु.'000)

		31.03.2005 को	31.3.2004 को
11. नकद एवं बैंक जमा			
हाथ में नकद और स्टाम्प		2,551	1,246
हाथ में चेक/ड्राफ्ट		25,110	17,927
अधिसूचित बैंकों में जमा राशि :			
क. सावधि जमा खातों में	—		55,894
ख. चालू खातों में	47,872		95,201
ग. मार्जिन मनी	—		26
		47,872	151,121
		75,533	170,294
12. अन्य चालू आस्तियाँ			
प्रोद्भूत ब्याज :			
– ऋणों/अग्रिमों/जमाओं एवं अन्यों पर		10,594	13,192
		10,594	13,192
13. ऋण एवं अग्रिम			
ऋण	10,746		10,318
नकद या वस्तु के रूप या मूल्य रूप में वसूली योग्य अग्रिम	185,983		156,895
वसूली योग्य दावें	37,370		33,162
जमा	438,963		394,800
सीमा-शुल्क, पोर्ट ट्रस्ट आदि के पास जमा राशि	7,194		4,683
		680,256	599,858
घटाएँ : संदिग्ध अग्रिमों एवं दावों के लिए प्रावधान		124,716	112,072
		555,540	487,786
ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण :			
शोध्य समझा गया - जमानती		5,202	7,137
- गैर-जमानती		550,338	480,649
संदिग्ध समझा गया		124,716	112,072
		680,256	599,858
टिप्पणी :			
निदेशकों से प्राप्य राशि		—	—
एक अधिकारी से प्राप्य राशि		—	—
वर्ष के दौरान किसी भी समय अधिकतम प्राप्य राशि :			
- निदेशक से		—	—
- अधिकारी से		—	—

लेखा की सारणियाँ

31 मार्च, 2005 को

(रु. '000)

		31.03.2005 को	31.3.2004 को
14. चालू देयताएँ एवं प्रावधान			
चालू देयताएँ			
विविध लेनदार — माल		477,851	323,084
विविध लेनदार — अन्य		776,285	785,599
विविध लेनदार — ल. उ. इका.		17,226	87,753
प्रतिभूति एवं अग्रिम धन (अर्नेस्ट मनी) जमा		169,157	194,391
सहायता अनुदान			
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	160,323		1,177,817
जोड़े : वर्ष के दौरान प्राप्त	350,000		250,000
	510,323		1,427,817
घटाएँ : लाभ एवं हानि खाते में अंतरण	265,573		1,267,494
		244,750	160,323
अन्य देयताएँ		509,946	547,899
ऋणों पर प्रोद्भूत ब्याज जो देय नहीं है		49,024	68,048
		2,224,239	2,167,097
प्रावधान :			
सम्पत्ति कर	8,282		7,282
अन्य	421,591		387,463
		429,873	394,745
		2,674,112	2,561,842
15. विविध व्यय			
(समयोजित या बट्टे खाते होने की सीमा तक)			
प्रगालक/रिफाइनरी की प्रमुख ओवरहालिंग			
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष		33,711	—
वर्ष के दौरान व्यय :			
भंडार	54,071		22,033
अतिरिक्त पुर्जे	18,190		—
अनुरक्षण संयंत्र (अनुबंधात्मक)	46,301		11,678
		118,562	33,711
घटाएँ : आलोच्य वर्ष में प्रभारित :			
भंडार	76,104		—
अतिरिक्त पुर्जे	18,190		—
अनुरक्षण संयंत्र (अनुबंधात्मक)	57,979		—
		152,273	—
		—	33,711
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति क्षतिपूर्ति			
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष	—		—
जोड़ें : वर्ष के दौरान व्यय	265,573		1,267,494
	265,573		1,267,494
घटाएँ : लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित	265,573		1,267,494
		—	—
		—	33,711

लेखा की सारणियाँ

31 मार्च, 2005 को

(रु.'000)

	2004-05 को	2003-04 को
16. अन्य आय		
स्क्रैप की बिक्री	19,121	34,801
स्थायी आस्तियों की बिक्री से लाभ (शुद्ध)	37,012	3,101
भंडार की बिक्री से लाभ (शुद्ध)	66	310
ब्याज :		
- ऋणों, अग्रिमों, जमा आदि पर	712	15,324
- ग्राहको से प्राप्त	10,473	13,924
दावे	3,468	579
बट्टे खाते डाले गए प्रावधान	10,199	4,723
विनिमय घट-बढ़ पर हानि/(लाभ)	—	26,726
रूपान्तरण प्रभार	12,308	—
विविध	27,013	24,851
	120,372	124,339
17. तैयार, आधे तैयार और निर्माणाधीन माल के स्टॉक में वृद्धि/(ह्रास)		
अथ स्टॉक :		
तैयार माल	452,146	318,302
आधे तैयार एवं निर्माणाधीन माल	953,421	1,061,270
कुल अथ स्टॉक	1,405,567	1,379,572
इति स्टॉक :		
तैयार माल	480,787	452,146
आधे तैयार एवं निर्माणाधीन माल	1,521,227	953,421
कुल इति स्टॉक	2,002,014	1,405,567
वृद्धि/(ह्रास)	596,447	25,995
18. सामग्री, अतिरिक्त पुर्जे एवं घटक		
उपभुक्त कच्चा माल	297,180	482,297
उपभुक्त भंडार, अतिरिक्त पुर्जे एवं औजार	557,327	422,828
खान विकास के दौरान निकले अयस्क का मूल्य	6,337	8,189
	860,844	913,314

लेखा की सारणियाँ

31 मार्च, 2005 को

(रु.'000)

			2004-05 को	2003-04 को
19.	**कर्मचारियों का पारिश्रमिक और लाभ**			
	वेतन, मजदूरी एवं भत्ते		723,040	767,101
	बोनस/अनुग्रह राशि		458	262
	भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में योगदान		74,670	81,124
	कामगार एवं स्टाफ कल्याण		60,941	62,205
	ग्रेच्युटी		10,081	7,670
			869,190	918,362
20.	**निर्माण, प्रशासन, विक्रय एवं वितरण संबंधी अन्य व्यय**			
	विद्युत, ईंधन और जल		1,059,661	1,314,498
	मरम्मत :			
	इमारत	3,726		4,532
	संयंत्र और यंत्र	44,211		37,211
	अन्य	12,193		17,065
			60,130 *	58,808
	मुख्य ओवर हालिंग व्यय		152,273	—
	रायल्टी, उपकर एवं आज्ञाप्त राशि		156,212	101,852
	बीमा		7,029	10,347
	किराया		6,234	7,790
	दर एवं कर		17,716	14,167
	लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक :			
	लेखा परीक्षा शुल्क :			
	– सांविधिक लेखा-परीक्षा शुल्क	281		281
	– कर लेखा-परीक्षा शुल्क	105		105
	– अन्य प्रयोजन से	209		297
	– व्यय हेतु	79		96
			674	779
	– लागत लेखा-परीक्षक शुल्क	44		40
	– व्यय हेतु	—		5
			44	45
	आंतरिक लेखा-परीक्षा शुल्क एवं व्यय	259		361
	– व्यय हेतु	122		193
			381	554
	निदेशकों के शुल्क		1	10
	लेखा परीक्षा समिति शुल्क		—	2
	माल उठाई एवं परिवहन		177,598	203,586
	चंदा		1,005	—
	कमीशन		604	746
	विनिमय घट-बढ़ पर हानि (लाभ)		11,480	—
	छूट एवं रिबेट		218,118	195,881
	टोलिंग चार्ज-रिबर्ट एवं सांद्र		159,222	—
	विविध		118,088	150,139
			2,146,470	2,059,204

* विभागीय तौर पर की गयी मरम्मत में वेतन एवं मजदूरी पर रु. 261,550 हजार एवं उपभुक्त भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जे पर व्यय के रु. 228,821 हजार (गत वर्ष क्रमश: रु. 273,346 हजार एवं रु. 210,706 हजार) जिन्हें लेखों के संबंधित शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया गया है, शामिल नहीं है ।

लेखा की सारणियाँ

31 मार्च, 2005 को

(रु.'000)

	2004-05 को	2003-04 को
21. विगत वर्षों के शुद्ध नामे/(जमा)		
नाम :		
वेतन, मजदूरी एवं भत्ते	4	770
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में योगदान	—	171
ग्रेच्युटी	29	26
ब्याज	—	97
मरम्मत और अनुरक्षण - संयंत्र, यंत्र और अन्य	34	12
उपभुक्त कच्चे माल, भंडार वस्तुएँ, अतिरिक्त पुर्जे एवं औजार	(124)	1,808
माल उठाई एवं परिवहन प्रभार	378	216
मूल्यह्रास	—	282
विद्युत एवं ईंधन	18,066	34
उत्पादन शुल्क/सेन्वेट	18,100	—
कामगार एवं कर्मचारी कल्याण	4,468	5
विविध व्यय	4,196	2,693
	45,151	6,114
जमा :		
विविध आय	33,880	275
	33,880	275
शुद्ध नामे/(जमा)	11,271	5,839
22. ब्याज		
नकद जमा	115,677	164,714
प्रतिदेय बांड	24,518	96,270
भारत सरकार से प्रतिभूत प्रतिदेय बांड	159,750	159,750
डिबेंचर	112,327	139,169
अन्य	17,644	36,339
	429,916	596,242
23. प्रावधान, हानि एवं बट्टे खाते		
हेतु प्रावधान :		
– भंडार विसंगतियाँ	203	2,047
– तैयार स्टॉक/चालू कार्य	10	—
– संदिग्ध ऋण, अग्रिम एवं दावे आदि	3,785	42,609
– अनियमित प्रयोग के भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जे	12,720	1,690
– स्थायी आस्तियाँ की हानि	—	253
– पूँजीगत चालू कार्य	16,606	11,181
– उत्पादन शुल्क/सेन्वेट/बिक्री कर	9,096	—
– संपत्ति कर	1,000	1,000
– स्थिर/अव्यवहार्य स्टॉक/अतिरिक्त पुर्जे	30,635	55,231
– खनन पट्टा	1,209	1,209
– खान बंदी - स्थायी आस्तियाँ	12,371	10,338
- खान विकास व्यय	66,082	—
	153,717	125,558
बट्टा खाता :		
– अग्रिम/दावे	—	13
	—	13
	153,717	125,571

लेखा की सारणियाँ

31 मार्च, 2005 को

24. लेखा पर टिप्पणियाँ

(रु. '000)

		2004-2005	2003-2004
1.	पूँजीगत प्रतिबद्धताओं की अनुमानित राशि	360,334	207,917
2.	आकस्मिक देयताएं, जिनका दावा ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं है :		
	क. बिक्री कर	33,184	334,877
	ख. उत्पादन शुल्क	762,009	852,335
	ग. अन्य	1,775,356	2,563,955

3. राज्य सरकार से पट्टे पर ली गई भूमि के पट्टा करार को अन्तिम रूप देना लंबित होने से अभी तक किए गए तदर्थ भुगतान का ऋण परिशोधन किया गया है । राज्य सरकार के रिकार्डों में हि.कॉ.लि. के नाम कुछ पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि बिना औपचारिक दस्तावेजों के हस्तान्तरित कर दी गई है ।

4. राष्ट्रीयकरण के समय इंडियन कॉपर कारपोरेशन (उपक्रम का अधिग्रहण) अधिनियम, 1972 के अनुसार इंडियन कॉपर काम्प्लेक्स के राष्ट्रीयकरण के समय भूमि और इमारतों सहित अधिगृहीत आस्तियों को कंपनी की आस्तियाँ समझा गया है ।

5. विविध लेनदारों, विविध देनदारों, ऋणों, अग्रिमों, वसूली योग्य दावों के तहत दिखाई गई शेष की पार्टियों द्वारा पुष्टि होनी बाकी है ।

6. लघु एवं सहायक औद्योगिक उपक्रम को 17,226 हजार रु. (गत वर्ष 87,753 हजार रु.) की राशि देय है ।

7. आईसीसी इकाई में प्रदूषण नियंत्रण परियोजना के तहत पैकेज - I और III के अंतर्गत रु. 210,050 हजार के संयंत्रों का पूँजीकरण अनुबंध के अनुसार परीक्षण/गारंटी प्रचालन की अपूर्णता लंबित रहने के कारण नहीं किया गया है । दूरदर्शिता का और समय बहाव का ध्यान रखकर खातों में रु. 44,364 हजार का प्रावधान किया गया है । परीक्षण प्रचालन पूर्ण होने वाले वर्ष में पैकेज-II का संयंत्र पूँजीकृत कर दिया गया है । तथापि स्वतंत्र विशेषज्ञ मूल्यकर्ता द्वारा किए गए संयंत्र के अद्यतन मूल्य पर आधारित आस्तियों की क्षति के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं है ।

8. प्रबंधन की राय में चालू आस्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम एवं जमा व्यापार की सामान्य अवस्था में वसूली करने पर जितने की वे बतायी गयी हैं, कम से कम उतने मूल्य की हैं ।

9. मध्य प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के साथ मताप इकाई में विद्युत शुल्क को लेकर विवाद के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायलय ने मामले का नए सिरे से निपटान करने के लिए उसे वापस माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के पास भेज दिया है । माननीय उच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय लंबित रहने के कारण स्वीकृत देयता से ज्यादा भुगतान की गई राशि को 'जमा' में दर्शाया गया है। इस संबंध में वर्ष समाप्ति पर आकस्मिक देयताएँ तथा जमा क्रमश: रु. 567,501 हजार (गत वर्ष रु. 526,647 हजार) और रु. 281,101 हजार (गत वर्ष रु. 259,447 हजार) थे ।

10. झा. रा. वि. प. एवं राज्य सरकार द्वारा दावा की गई रु. 641,462 करोड़ की राशि जिसमें 31.08.2003 (मोसाबनी) और 30.09.2003 (राखा इकाई) का बकाया विद्युत ईंधन अधिभार एवं डीपीएस तथा 31.03.2000 तक का जल कर शामिल है, के एक बार निपटान पर झारखंड सरकार ने भूमि, इमारतें, अस्पताल और अन्य जनोपयोगी इमारतों सहित मोसाबनी एवं राखा की टाउनशिपों के अधिग्रहण का निर्णय किया है । गजट अधिसूचना के बाद अब टाउनशिपों को सौंपने के लिए रिसीवर नियुक्त किया गया है और आस्तियाँ सौंपे जाने की क्रिया में है । ईंधन अधिभार और जल कर के उक्त दावे का निपटान लंबित होने के कारण कंपनी की लेखाबही में रु. 365,369 हजार का प्रावधान है । आस्तियों को अन्तिम रूप से सौंपने के बाद निपटान की शेष राशि और आस्तियों के हस्तानांतरण के लेखा प्रभाव को भी प्रभारित कर लिया जाएगा ।

11. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समान मामले में निर्णीत दर पर रु. 26,163 हजार के लिए 31.03.2000 के परे और 31.03.2005 तक जलकर का लेखा किया गया है ।

12. कंपनी ने बदिया, पाथरगोड़ा, खरस्वान, केन्दाडीह सहित मुसाबनी खान समूह तथा राखा खान को भी बंद कर दिया है । इन खानों से संबंधित रु. 168,350 हजार की स्थायी आस्तियों के कुल बहीं मूल्य में से रु. 60,851 हजार मूल्य की बेकार आस्तियाँ पहचानी गयी हैं, जिनके लिए रु. 48,989 हजार का प्रावधान यथेष्ट समझा गया ।

13. मुसाबनी सांद्रक और अन्य अनुषंगी सुविधाओं सहित सुरदा खान के प्रचालन को मुसाबनी भूतपूर्व कर्मचारी स्व-सहायता श्रमिक सहकारिता सोसाइटी लि. के माध्यम से फिर से शुरू करने के आगे बढ़े हुए प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए संबंधित स्थायी आस्तियों और अनुपयुक्त भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जों का प्रावधान लेखा में करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

14. खनन योग्य अयस्क भंडार के शेष हो जाने के कारण कंपनी ने चांदमारी खान का प्रचालन स्थगित कर दिया है । रु. 2,229 हजार की संबंधित स्थायी आस्तियों के डब्ल्यूडीवी सहित रु. 66,082 हजार का अनवशेषित खान विकास व्यय का प्रावधान चालू वर्ष के लेखों में कर दिया गया है

15. खर्चीले प्रचालन के कारण कंपनी ने खेतड़ी कॉपर कॉम्पलेक्स में उर्वरक संयंत्र का प्रचालन स्थगित कर दिया है । फलस्वरूप संबंधित स्थायी आस्तियों के रु. 8,904 हजार को चालू वर्ष के लेखा में प्रदान कर दिया गया है ।

16. डाबला सिंघाना रेल लाईन को छोटी लाईन से बड़ी लाईन में बदलने के लिए किए गए व्यवहार्यता अध्ययन पर खर्च हुई रु. 5,440 हजार की राशि लेखों में पूर्णत: उपलब्ध करा दी गई है क्योंकि परियोजना को वाणिज्यिक विचारों के अनुसार नहीं पाया गया ।

17. एक आपूर्ति ठेके के विवाद का निपटान लंबित रहने के कारण रु. 39,592 हजार के कुल दावे में से रु. 18,931 हजार (गत वर्ष रु. 8,658 हजार) उपलब्ध कराए गए हैं और शेष राशि को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है ।

18. कंपनी ने अनेक स्थान पर अवस्थित अपने बहुत से खनन प्रचालनों को विभिन्न वर्षों में खेतड़ी के उर्वरक संयंत्र का प्रचालन खर्चीला होने के कारण बंद/स्थगित किया है । "अनियमित प्रचालनों" पर ले. मा. 24 में यथा अपेक्षित निम्नलिखित सूचना वर्ष के लिए दी गई है :

(रु. '000)

	मुसाबनी खान सभूह	रा.ता.प.	चॉ.ता.प	द.ता.प	उर्वरक संयंत्र
क. प्रारम्भिक प्रकटीकरण घटना (बंदी वर्ष)	1997 से 2003	2001	2002	1994	2001
ख. लायी गई आस्तियों की राशि	अलग से रिकार्ड नहीं रखा गया	31,308	–	–	अलग से रिकार्ड नहीं रखा गया
ग. निपटान की जाने वाली देयता		117,541	897	–	
घ. राजस्व राशि	13,373	11,674	7,304	338	
ङ. व्यय राशि	75,024	11,640	362	–	

19. कंपनी मूलत: ताम्र उत्पादों के निर्माण और बिक्री का व्यापार करती है । इसलिए उसे ही केवल मुख्य रूप से रिपोर्टयोग्य व्यापार खंड समझा गया है और तदनुसार रिपोर्ट की गई है । चूँकि कंपनी प्रधान रूप से भारत की भौगोलिक सीमाओं में ही प्रचालन करती है अत: लेखा मानक सेगमेंट रिपोर्टिंग (एस-17) अनुसार किसी गौण खंड रिपोर्टिंग पर विचार नहीं किया गया है ।

20. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा संबंधित पार्टी प्रकटीकरण पर ले.मा.-18 की अपेक्षानुसार सूचना :

क. कंपनी के शीर्ष प्रबंधन कार्मिक :

श्री राणा सोम	कार्यकारी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (31.03.2005 पूर्वाह्न तक)
श्री एम. समाजपति	निदेशक (वित्त) (27.09.2004 से) एवं कार्यकारी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (31.03.2005 अपराह्न से)
श्री पी. स्वरूप	निदेशक (प्रचालन) (23.02.2005 से)

ख. संबंधित पार्टियों की सूची :

सिक्किम माइनिंग कारपोरेशन

ग. वर्ष के दौरान संबंधित पार्टियों/शीर्ष प्रबंधन कार्मिकों के साथ लेन देन :

(रु. '000)

लेन देन की प्रकृति	संबंधित पार्टियाँ	शीर्ष प्रबंधन कार्मिक
माल की खरीद	5241	
प्रबंधकीय पारिश्रमिक		805
31 मार्च, 2005 को बकाया शेष		
- देय/लेनदार	1897	

21. बेसिक और डिल्यूटेड प्रति शेयर आय की गणना के लिए प्रयुक्त न्यूमेरेटर और डिनोमीनेटर :

	बेसिक	डिल्यूटेड
प्रयुक्त न्यूमेरेटर : करोत्तर लाभ (हजार रु. में)	**559,805**	**559,805**
प्रयुक्त डिनोमीनेटर : वर्ष के दौरान बकाया रु. 10 के ईक्विटी शेयरों की वेटेज औसत संख्या	**446,956,247**	**742,646,330**

22. मूल्यांकन वर्ष 1982-83 से चालू वर्ष तक आस्थगित कर आस्तियाँ एवं देयताओं की गणना अनवशोषित मूल्यह्रास और संबद्ध समय अंतरों तथा ऐसे वर्षों के दौरान कंपनी की शुद्ध हानि पर परिणामस्वरूप होनेवाले प्रभाव पर आधारित है । बेहतर व्यापारिक अवस्थाओं के कारण ही वर्ष के दौरान हानि लाभ मे सम्पूर्ण रूप से परिवर्तित होने लगी, इसलिए केवल अनवशोषित मूल्यह्रास (विवादित को छोड़कर) की सीमा तक आस्थगित कर आस्तियों की शिनाख्त की गई है ।

ले.मा - 22 के प्रावधान के अनुसार रु. 10,608 हजार के आस्थगित कर के उक्त शुद्ध प्रभाव को प्रारक्षित राजस्व निधियों में जमा कर दिया गया है ।

आस्थगित कर आस्ति (शुद्ध) :

	01.04.04 को	**वर्ष के दौरान ला/हा में परिवर्तन**	**31.03.05 को बंद**
आस्थगित कर आस्ति :			
संचित अनवशोषित मूल्यह्रास (विवादित रहित)	577.133	–	577,133
	577.133	–	577,133
आस्थगित कर देयता :			
आयकर अधिनियम के अनुसार मूल्यह्रास योग्य पूँजीगत आस्तियों के बही मूल्य और डब्ल्यूडीवी के बीच अंतर	566,525	(39,181)	525,344
	566,525	(39,181)	525,344
आस्थगित कर आस्ति (शुद्ध)	10,608	(39,181)	49,789

23. कृण परिशोधन से मुख्य ओवरहालिंग व्यय को होने वाले वर्ष से तीन वर्षों में प्रभारित करने के लिए लेखा नीति-6 में परिवर्तन के पालन से वर्ष 2004-05 के लाभ-हानि लेखा में रु. 101,515 हजार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

24. वर्ष के दौरान बिक्री से संबंधित लेखा नीति बदल गई है । अब कंपनी द्वारा ग्राहकों को पेश की गयी नकद छूट को बिक्री में शामिल न कर व्यय के रूप में दिखाना है । कंपनी अधिनियम, 1956 की सारणी 6 की प्रकटीकरण अपेक्षा के अनुसार लेखा नीति को बनाने के लिए बदलाव जरूरी हो गया है । तथापि बदलाव कंपनी के लाभ को प्रभावित नहीं करता है ।

25. आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान :

(रु. '000)

विवरण	छाँटी गई स्थाई आलस्तयाँ	पूँजीगत चालू कार्य एवं अग्रिम	खान विकास व्यय	अन्य	कुल
1 अप्रैल, 04 को अग्रानीत राशि	64,917	494,161	448,013	1,052,476	2,059,567
वर्ष के दौरान उपलब्ध करायी गयी राशि	11,813	16,606	66,081	94,213	188,713
प्रावधान के लिए प्रयुक्त राशि	–	–	–	–	–
वर्ष में दौरान विमोचित अप्रयुक्त राशि	2,164	–	–	8,035	10,199
31 मार्च, 2005 को अग्रानीत राशि	74,566	510,767	514,094	1,138,654	2,238,081

26. भंडार रु. 34,224 हजार सहित प्रक्रियागत कार्य तीसरी पार्टी के पास पड़े हैं ।

27. विगत वर्ष के आँकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित कर लिया गया है ।

अनुलग्नक (देखें : सारणी सं. 25 की टिप्पणी सं. 6)

31.03.2005 को 30 दिनों से ज्यादा अवधि तक वकाया राशिवाली लघु उद्योग इकाइयों, कंपनी किसी राशि के लिए जिनकी ऋणी है, का विवरण निम्नलिखित है :

क्रम सं.	पार्टी का नाम
1.	**अल्फा कार्बन ब्राश मैन्यू. कं.**
2.	**अमन कनवेयर रोलर इंडस्ट्री**
3.	अमेरिकन रबड़ मैन्यू. कं.
4.	अमरूता इंडस्ट्रीज
5.	अंकित इंडस्ट्रीयल गैसेज (प्रा.) लि.
6.	अपोलो बैटरीज
7.	अरूद्र इंजीनियर्स (प्रा.) लि.
8.	अशोक मशीन टूल्स
9.	एशोसिएटेड न्यूमेटिक इंडस्ट्रीज
10.	एटलस इंडस्ट्रीयल कारपोरेशन
11.	अयप्पा इंजीनियर्स
12.	बंगाल रबड़ मैन्यू. कं.
13.	भारत इंजी. एंड मैन्यू. कं.
14.	भारत इंजीनियर्स
15.	भारत मिनरल्स
16.	भारत वूड वर्क्स
17.	बिहार पेंट्स एंड पिगमेंट्स कं.
18.	बिहार स्टील प्रोडक्सन
19.	छोटा नागपुर फाउन्ड्री लि.
20.	करटिसी प्रिंटर्स
21.	दीपक इंजी. कं.
22.	दीपक इंजीनियरिंग वर्क्स
23.	दिनेश इंजी. वर्क्स
24.	डायमेट इंटरप्राइजेज
25.	डायमिड केमि. इंडस्ट्रीज
26.	दुजोदवाला रेजीन
27.	इंजीनियरिंग इंटरप्राइजेज
28.	फ्लो क्रिएटर्स
29.	फाउन्डरी ऑफ इंडिया
30.	फ्रेन्डस इंजी. कारपोरेशन
31.	गजलक्ष्मी आयरन वर्क्स
32.	गिरिराज हाइड्रोलिक्स (प्रा.) लि.
33.	ग्लैक्सी फाउन्डरी (प्रा.) लि.
34.	गोयल इंडस्ट्रीज
35.	गोयल मिनरल्स
36.	ग्रांड यूनियन ट्रेडिंग कं.
37.	हिन्दुस्तान इंजी. एंड ट्रेडर्स
38.	हिन्दुस्तान फेसिंग इंडस्ट्रीज
39.	हावड़ा मशीनरी वर्क्स
40.	हाइड्रोक्रिम्प ए.सी. (प्रा.) लि.
41.	इमको इंडस्ट्रीज (प्रा.) लि.
42.	आईजीपी इंजीनियर (प्रा.) लि.
43.	इंडो इंडस्ट्रीयल सर्विसेज
44.	इनीकोर्प इंडस्ट्रीज
45.	इकबाल ब्रदर्स (प्रा.) लि.
46.	जी. ई. थरमिट
47.	जयराम इंजी. वर्क्स
48.	जानसन रबड़
49.	के. एम. उद्योग
50.	के. एन. वेल्डिंग एंड इंजी.
51.	कमल इंडस्ट्रीयल कंसर्न
52.	किरण मेटल वर्क्स
53.	कृष्णा वेल्डिंग एंड रिपेयरिगं शाप
54.	क्वालिटी इंजी. वर्क्स
55.	लक्ष्मी केमिकल
56.	लक्ष्मी इंडस्ट्रीज
57.	लक्ष्मी पोलीप्लास्ट इंडस्ट्रीज
58.	एम. ए. एस. इंडस्ट्रीज
59.	महेश्वरी लाईम वर्क्स
60.	मेटरिट प्रोडक्ट्स
61.	माइक्रोटेक इंटरनेशनल
62.	मॉडर्न रबड़ प्रोडक्ट्स
63.	मोहता फास्टनर्स
64.	नबीन इंजीनियरिंग वर्क्स
65.	नागपुर इंजी. वर्क्स
66.	नेशनल एसबेस्टर्स कारपोरेशन
67.	नवभारत एक्सप्लोसिव कं.
68.	ओरलिएंश इंजी. इंटरप्राइजेज
69.	पोद्दार इंडस्ट्रीज
70.	पोलीमोल्ड प्रोडक्ट्स
71.	प्रकाश प्रिंटर्स
72.	प्रीशिजन इंजी. वर्क्स
73.	प्रीमियर रबड़ मिल्स
74.	प्रिंट वेल
75.	आर. के. इंडस्ट्रीज
76.	आर. के. इंटरप्राइजेज
77.	रिफ्रैक्टरी स्पेशिएलिस्ट
78.	कृषि इंडस्ट्रीज
79.	रोलिक इंडस्ट्रीज
80.	शर्मा इंजी. वर्क्स
81.	शिन्दे टूल्स
82.	श्री जगन्नाथ फेरो कास्टिंग्स
83.	शिवा मेटल इंडस्ट्रीज
84.	स्माल टूल्स एंड एलाइड मैन्यू. कं.
85.	स्पेयर इंटरप्राइज
86.	स्टरलिंग इंजी. वर्क्स
87.	सुवर्णरेखा इंटरप्राइजेज
88.	सुमन इंडस्ट्रीयल कारपोरेशन
89.	सुयोग केमिकल्स
90.	टेलकेम कास्टिंग
91.	द वाटर सप्लाई स्पेशिएलिस्ट (प्रा.) लि.
92.	खेजो इंजी. सर्विसेज
93.	तिरूपति इंजी. वर्क्स
94.	तोशनीवाल प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स (प्रा.) लि.
95.	यूनिकास्ट इंजी.
96.	यूनिक इंजीनियर्स
97.	यूनिवर्सल एसबेस्टस सीमेंट प्रोड्क्टस
98.	उत्कल मोल्डर्स
99.	यू.टी.एस.इंडिया (प्रा.) लि.
100.	वरुण पोलीपेक
101.	वीके इंडस्ट्रीज
102.	वोरा इंडस्ट्रीज
103.	वुल्कन इंडस्ट्रीयल इंजी. कं.

24. लेखा पर टिप्पणियाँ (जारी)

24. अतिरिक्त सूचनाएं

24.1 क्षमता, उत्पादन, भंडार एवं बिक्री

	मालों की श्रेणी	इकाई	अनुज्ञप्त क्षमता मात्रा	संस्थापित क्षमता (प्रबंधक वर्ग द्वारा यथा प्रमाणित)	वास्तविक उत्पादन
अ.	**उत्पादन गतिविधियाँ**				
क.	**प्रमुख उत्पाद**				
1.	वायर बार	मी.ट.	39,400	39,400	0
		मी.ट.	(39,400)	(39,400)	(455)
2.	वायर रॉड	मी.ट.	60,000	60,000	23,203
		मी.ट.	(60,000)	(60,000)	(28,003)
3.	कैथोड	मी.ट.	47,500	47,500	24,186
		मी.ट.	(47,500)	(47,500)	(30,598)
ख.	**गौण उत्पाद**				
1.	सोना	कि.ग्रा.	264	698	0
		कि.ग्रा.	(264)	(698)	(195)
2.	चाँदी	कि.ग्रा.	4,763	9,868	0
		कि.ग्रा.	(4,763)	(9,868)	(3,207)
3.	निकल सल्फेट	मी.ट.	250	390	0
		मी.ट.	(250)	(390)	(10)
4.	सेलेनियम	कि.ग्रा.	10,000	14,600	0
		कि.ग्रा.	(10,000)	(14,600)	(2,357)
5.	गंधकाम्ल	मी.ट.	236,000	236,000	15,878
		मी.ट.	(236,000)	(236,000)	(20,439)
6.	टेलुरियम	कि.ग्रा.	लागू नहीं	0	0
		कि.ग्रा.	(लागू नहीं)	(-)	(31)

लेखा की सारणियाँ

31 मार्च, 2005 को

वर्ष 2004-05

(गत वर्षों के आँकड़े कोष्ठकों में दर्शाए गए हैं)

अथ स्टॉक		इति स्टॉक		बिक्री		आंतरिक उपभोग/
मात्रा	मूल्य *(रु. '000)*	मात्रा	मूल्य *(रु. '000)*	मात्रा	मूल्य *(रु. '000)*	मध्यवर्ती उत्पादों एवं अन्य प्रयोजनों से निर्गमित
1	206	1	173	0	0	0
(7)	(804)	(1)	(206)	(461)	(62652)	(-)
1,513	234,992	1,127	202,890	23,607	4906278	-18
(1,111)	(139,555)	(1,513)	(234,992)	(27,603)	(4,088,899)	(-3)
770	90,181	988	138,594	2,436	501,564	21,612
(797)	(92,723)	(770)	(90,181)	(2,080)	(308,877)	(28,544)
0	15	0	21	0	0	0
(-)	(15)	(-)	(15)	(195)	(106,217)	(-)
0	1	0	1	0	0	0
(1,287)	(8,748)	(-)	(1)	(4,494)	(34,944)	(-)
6	543	6	534	0	0	0
(16)	(1,810)	(6)	(543)	(20)	(2,585)	(-)
0	0	0	0	0	0	0
(730)	(296)	(-)	(-)	(3,087)	(1,374)	(-)
4,998	14,074	3,646	11,323	15,440	38,030	1,790
(3,399)	(7,228)	(4,998)	(14,074)	(17,265)	(38,029)	(1,575)
0	0	0	0	0	0	0
(34)	(79)	(-)	(-)	(65)	(151)	(-)

24. लेखा पर टिप्पणियाँ (जारी)

24. अतिरिक्त सूचनाएं

24.1 क्षमता, उत्पादन, भंडार एवं बिक्री

	माल की श्रेणी	इकाई	अनुज्ञप्त क्षमता	संस्थापित क्षमता (प्रबंधक वर्ग द्वारा वर्ग द्वारा यथा प्रमाणित)	वास्तविक उत्पादन
घ.	**सम्बद्ध और आधे तैयार माल**				
1.	एनोड स्लाइम	मी.ट. मी.ट.	लागू नहीं (लागू नहीं)	- -	14 (47)
2.	ताम्र खरादन	मी.ट. मी.ट.	लागू नहीं (लागू नहीं)	- -	0 (-)
3.	कॉपर मोल्ड	मी.ट. मी.ट.	लागू नहीं (लागू नहीं)	- -	38 (538)
4.	काइनाइट	मी.ट. मी.ट.	लागू नहीं (लागू नहीं)	- -	0 (-)
5.	अन्य	मी.ट. मी.ट.	लागू नहीं (लागू नहीं)	- -	0 (195)
	योग				

टिप्पणी :

* अथ स्टॉक में गंधकाम्ल का रु. 12,939 हजार, एनोड मोल्ड का रु. 2,695 हजार, वायर बार मोल्ड का रु. 1,834 हजार और लिबरेटर कैथोड का रु. 8,429 हजार मूल्य शामिल है, जिन्हें निर्माणाधीन कार्य में दिखाया गया है ।

** इति स्टॉक में गंधकाम्ल का रु. 7,564 हजार (गत वर्ष रु. 12,939) और एनोड मोल्ड का रु. 2,695 हजार (गत वर्ष रु. 2695 हजार) तथा वायर बार मोल्ड रु. 1,834 हजार (गत वर्ष रु. 1,834) एवं लिबरेटर कैथोड का रु. 10,690 हजार (गत वर्ष रु. 8419) मूल्य शामिल है, जिन्हें निर्माणाधीन कार्य में दर्शाया गया है ।

*** रिवर्ट की रु. 13,341 हजार (गत वर्ष रु. 330,910 हजार) और अयस्क रु. 9 हजार (गत वर्ष रु. शून्य हजार) की बिक्री छोड़कर। सांद्र की बिक्री रु. 5,802 हजार ।

लेखा की सारणियाँ

31 मार्च, 2005 को

2004-05

(गत वर्ष के आँकड़े कोष्ठकों में दर्शाए गए हैं)

अथ स्टॉक		इति स्टॉक		बिक्री		आंतरिक उपभोग/मध्यवर्ती उत्पादों एवं अन्य प्रयोजनों से निर्गमित
मात्रा	मूल्य *(रु. '000)*	मात्रा	मूल्य *(रु. '000)*	मात्रा	मूल्य *(रु. '000)*	
43	124,184	31	131,555	25	107,454	1
(9)	(25,413)	(43)	(124,184)	(-)	(-)	(13)
0	0	0	0	0	0	0
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
51	4,529	51	4,528	0	0	38
(51)	(4,529)	(51)	(4,528)	(0)	(0)	(38)
13	8	13	8	0	0	0
(13)	(8)	(13)	(8)	(0)	(0)	(0)
0	9,311	0	13,942	0	18,656	0
(0)	(45,186)	(0)	(9,311)	(0)	(18,210)	(0)
	478,043*		503,569**		5,571,983***	
	(526394)		(478,043)		(4,661,938)	

24. लेखा पर टिप्पणियाँ (जारी)

24. अतिरिक्त सूचना

24.2 उपभुक्त कच्चा माल

	मात्रा		मूल्य	
	2004-05 मी. टन	2003-04 मी. टन	2004-05 रु. *'000*	2003-04 रु. *'000*
सान्द्र निजी उत्पादन	84,243	118,000	261,143	2,277,971
निजी उत्पादन से इतर सांद्र	436	19,249	9,760	482,297
कैथोड	1,742	0	287,420	0
24.3 उपयुक्त आयातित एवं देशी कच्चे माल, भंडार-वस्तुएँ, अतिरिक्त पुर्जे एवं घटक (प्रबंधन द्वारा यथा प्रमाणित)				
कच्चा, माल :	%	%		
आयातित	—	100.00	—	482,297
देशी	100.00	0.00	297,180	0
	100.00	100.00	297,180	482,297
भंडार-वस्तुएँ एवं अतिरिक्त पुर्जे :				
(खान विकास में दर्ज प्रत्यक्ष और भंडार वस्तुएँ एवं अतिरिक्त पुर्जे, शट डाउन और ऊर्जा एवं ईंधन)				
आयातित	4.90	3.05	30,398	27,168
देशी	95.10	96.95	590,562	863,919
	100.00	100.00	620,960	891,087
24.4 आयात का लागत बीमा एवं भाड़ा मूल्य				
कच्चा माल			—	456,831
घटक, अतिरिक्त पुर्जे एवं भंडार वस्तुएँ			23,262	21,381
पूँजीगत माल			—	0
			23,263	478,212
24.5 विदेशी मुद्रा व्यय :				
तकनीकी जानकारी			—	—
यात्रा			490	723
विज्ञापन			—	48
व्यावसायिक परामर्श शुल्क			—	—
अन्य			—	58
			490	829

24. लेखा पर टिप्पणियाँ (जारी)

	2004-05 रु. *'000*	2003-04 रु. *'000*
24.6 विदेशी मुद्रा आय		
मालों का निर्यात (नि:शुल्क पोत लदान)	107,454	200,931
	107,454	200,931
24.7 पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान		
वेतन एवं भत्ते	496	521
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में कंपनी का अंशदान	49	62
चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	147	28
छुट्टी नकदीकरण	113	163
ग्रेच्युटी	–	104

टिप्पणी :

इसके अतिरिक्ति पूर्णकालिक निदेशकों को उनकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार निजी प्रयोजन के लिए कंपनी की गाड़ी तथा रहने के लिए घर दिया जाता है और सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर खर्च वसूल किया जाता है ।

31 मार्च, 2005 को टाउनशिप और सामाजिक सुविधाओं पर पूँजीगत व्यय

(रु. 000)

आस्तियाँ	31.03.04 तक कुल व्यय	वर्ष के दौरान परिवर्द्धन/ समायोजन	31.03.2005 तक कुल व्यय	31.03.2005 तक मूल्यह्रास	31.03.2005 को ह्रासोत्तर मूल्य
भूमि	14,164	1,801	15,965	768	15,197
सड़कें और पुल	21,477	–	21,477	8,092	13,385
ड्रेनेज, सीवरेज और जलापूर्ति	76,975	30	77,005	26,649	50,356
अस्पताल के क्वार्टर एवं अन्य सहित टाउनशिप की इमारतें	456,796	(-) 896	455,900	161,306	294,594
विद्यालय एवं अस्पताल की इमारतें	42,079	(-) 767	41,312	15,601	25,711
विद्युत संस्थापन एवं विद्युतीकरण	31,864	(-) 94	31,770	16,860	14,910
अस्पताल के उपकरण	17473	(-) 23	17,450	12,442	5,008
अस्पतालों, विद्यालयों एवं अतिथिगृह के फर्नीचर	5,424	–	5,424	4,962	462
	666,252	51	666,303	246,680	419,623

31 मार्च, 2005 को समाप्त अवधि का सामाजिक उपरिव्यय जिसमें टाउनशिप व्यय भी शामिल है

(रु. '000)

		2004-05	2003-04
टाउनशिप :			
प्रशासन एवं अनुरक्षण व्यय :			
कर्मचारियों के पारिश्रमिक एवं लाभ	24,141		24,144
विद्युत, ईंधन और जल	167,950		175,518
भंडार वस्तुओं का उपयोग/मरम्मत एवं अनुरक्षण	2,395		4,374
मूल्यह्रास	10,262		19,202
अन्य	5,641		5,980
		210,379	229,218
घटाएँ :			
टाउनशिप आय		49,099	45,112
टाउनशिप पर शुद्ध व्यय		161,280	184,106
अन्य सामाजिक उपरिव्यय :			
विद्यालयों का अनुरक्षण एवं शैक्षणिक सुविधाएँ	10578		10,288
घटाएँ : प्राप्तियाँ	—		—
		10,578	10,288
चिकित्सा सुविधाएँ	63,077		67,027
घटाएँ : प्राप्तियाँ	1,398		1,537
		61,679	65,490
कर्मचारी कल्याण		7,886	10,613
अन्य सामाजिक उपरिव्यय पर शुद्ध व्यय		80,143	86,391
कुल व्यय		241,423	270,497

तुलन पत्र का सारांश तथा कंपनी के सामान्य व्यवसाय की रूपरेखा

(राशि रु. '000 में)

I. पंजीकरण विवरण

पंजीकरण सं. | 2 | 8 | 8 | 2 | 5 | राज्य कोड | 2 | 1 |

तुलन पत्र दिनांक | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |

II. वर्ष के दौरान पूँजी की उगाही

पब्लिक इश्यू | शू | न्य | राइटस इश्यू | शू | न्य |

बोनस इश्यू | शू | न्य | निजी नियोजन | शू | न्य |

III. कोषों के संघटन तथा प्रसार की स्थिति

कुल देयता | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | कुल आस्तियाँ | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 |

निधि के स्रोत | 9 | 0 | 8 | 9 | 5 | 0 | 4 | प्रारक्षित एवं अधिशेष | 9 | 9 | 3 | 5 | 0 |

प्रदत्त पूंजी | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *

* भारत सरकार से प्राप्त शेयर राशि जिसका ईक्विटी शेयरों में आबंटन होना है ।

जमानती ऋण | 3 | 4 | 0 | 9 | 7 | 8 | 5 | गैर जमानती ऋण | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |

कोषों का अनुप्रयोग

शुद्ध स्थायी आस्तियाँ | 4 | 9 | 4 | 8 | 5 | 2 | 7 | निवेश | 1 | 7 |

शुद्ध चालू आस्तियाँ | 3 | 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | विविध व्यय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

संचित हानियाँ | 7 | 8 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 |

IV. कंपनी का कार्य निष्पादन

कारोबार | 5 | 7 | 1 | 5 | 9 | 9 | 0 | * | कुल व्यय | 5 | 1 | 9 | 5 | 3 | 6 | 6 |

कर पूर्व लाभ/(हानि) | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | करोत्तर लाभ/(हानि) | 5 | 5 | 9 | 8 | 0 | 5 |

प्रति शेयर आय (रुपए में) 1.25 लाभांश दर % | शू | न्य |

* इसमें अन्य आय तथा आंतरिक निर्गम भी शामिल हैं ।

V. कंपनी के तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं के वर्गीय नाम

i) मद कोड सं. (आईटीसी कोड) 7403.12
उत्पाद का विवरण कॉपर वायर बार

ii) मद कोड सं. (आईटीसी कोड) 7407.10
उत्पाद का विवरण कॉपर वायर रॉड

iii) मद कोड सं. (आईटीसी कोड) 7403.11
उत्पाद का विवरण परिष्कृत कॉपर कैथोड

31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण

स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्धता करार के खंड 32 के अनुसार

(रु. '000)

	31.03.2005 को समाप्त वर्ष	31.03.2004 को समाप्त वर्ष
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह :		
कर एवं असाधारण मदों से पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि) हेतु समायोजित :	520,624	(561,598)
मूल्यह्रास	173,654	177,316
प्रभारित प्रावधान	199,638	125,571
पुनरांकित प्रावधान	(10,199)	(4,723)
प्रभारित ब्याज	429,916	596,242
ऋण परिशोधन	383,879	413,495
ब्याज से आय	(11,185)	(29,248)
प्रभारित शट डाउन व्यय	33,711	–
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति व्यय बट्टे खाते	265,573	1,267,494
भारत सरकार से प्राप्त प्रयुक्त सहायता अनुदान	(265,573)	(167,494)
स्थायी आस्तियों के निपटान से लाभ	(37,012)	(3,101)
कार्यकारी पूँजीगत परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ/(हानि) हेतु समायोजित :	1,683,026	713,954
व्यापार एवं अन्य प्राप्तियों में ह्रास/(वृद्धि)	65,610	(117,708)
मालसूची में वृद्धि	(598,144)	(17,680)
ऋणों एवं अग्रिमों में वृद्धि	(80,398)	(47,566)
व्यावसायिक देयों एवं प्रावधानों में वृद्धि/(ह्रास)	953	(270,615)
असाधारण मदों से पूर्व प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह	1,071,047	260,385
स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति पर व्यय	(265,573)	(1,267,794)
भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	3,50,000	250,000
असाधारण मदों के बाद प्रचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी (क)	1,155,474	(757,109)
ख. निवेशात्मक गतिविधियों से नकदी प्रवाह :		
स्थायी आस्तियों की खरीद	(63,090)	(68,390)
प्रमुख ओवरहॉल पर व्यय	–	(33,711)
स्थायी आस्तियों की बिक्री	39,514	9,324
निवेशों की बिक्री	4	1
प्राप्त ब्याज	13,783	36,417
खान विकास व्यय	(372,037)	(267,398)
निवेशात्मक गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी (ख)	(381,826)	(323,757)
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह :		
भारत सरकार से प्राप्त शेयर राशि	400,000	1,138,400
14.00% सुरक्षित डिबेन्चरों की प्रतिदेयता	(250,000)	(125,000)
14.75% सुरक्षित प्रतिदेय बांडों की प्रतिदेयता	(36,810)	(36,810)
15.00% सुरक्षित प्रतिदेय बांडों की प्रतिदेयता	(295,300)	(200)
14.00% निजी तौर पर बेचे गए बांडों की प्रतिदेयता	(79,500)	(10,000)
बैंकों के अल्पावधि ऋण में वृद्धि (पुनर्भुगतान)	(632,428)	229,451
प्रदत्त ब्याज	(395,553)	(599,166)
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी (ग)	(1,289,591)	596,675
नकदी एवं नकद पर्यायों में शुद्ध वृद्धि (क+ख+ग)	(515,943)	(484,191)
नकदी एवं नकद पर्याय - रोकड़ जमा	(590,842)	(106,651)
नकदी एवं नकद पर्याय - रोकड़ बाकी (विवरण अनुलग्नक-क में)	(1,106,785)	590,842

कृते निदेशक मंडल और उसकी ओर से

(सी.एस.सिंघी)
कंपनी सचिव

(पी. स्वरूप)
निदेशक (प्रचालन)

(एम. समाजपति)
कार्य. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 20 जुलाई, 2005
स्थान : कोलकाता

नकदी प्रवाह का विवरण (जारी)

अनुलग्नक - क

(रु. 000)

नकदी एवं नकद पर्याय - रोकड़ जमा	**01.04.2004 को**	**01.04.2003 को**
i. नकद एवं बैंक जमा	170,294	1,288,219
ii. नकदी उधार जमा	(761,136)	(1,394,870)
	(590,842)	(106,651)

नकदी एवं नकद पर्याय - रोकड़ बाकी	**31.03.2005 को**	**31.03.2004 को**
i. नकद एवं बैंक जमा	75,533	170,294
ii. नकद उधार जमा	(1,182,318)	(761,136)
	(1,106,785)	(590,842)

लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र

प्रति,
हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड
ताम्र भवन
1, आशुतोष चौधरी एवेन्यू
कोलकाता 700 019

हमने 31 मार्च, 2005 को समाप्त अबधि के लिए हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के नकदी प्रवाह विवरण की परीक्षा कर ली है। कंपनी द्वारा यह विवरण स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्धता करार के खंड 32 की अपेक्षाओं अनुसार तैयार किया गया है और यह कंपनी के सदस्यों को हमारी 20 जुलाई 2005 की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत कंपनी के तदनुरूप लाभ-हानि लेखा और तुलन पत्र पर आधारित है और उससे मेल खाता है ।

कृते दिनेश मेहता एंड कं.
सनदी लेखाकार

अनूप मेहता
साझेदार
एम. नं. 93133

कृते एम. सी. भंडारी एंड कं.
सनदी लेखाकार

एम. आर. जैन
साझेदार
एम. नं. 50919

दिनांक : 20 जुलाई, 2005
स्थान : कोलकाता